प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013—14

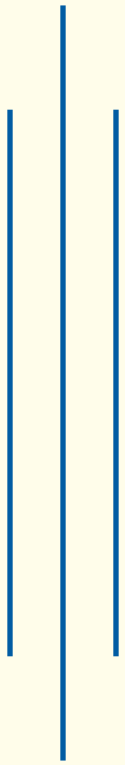

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	-	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
भार साधक मंत्री	-	माननीय श्री केदार कश्यप

मंत्रालय

सचिव	-	श्री मनोज कुमार पिंगुआ
संयुक्त सचिव	-	श्री डी०डी० कुंजाम
उपसचिव	-	डॉ० अनिल चौधरी
वित्तीय सलाहकार	-	श्री ए० के० सिन्हा

विभागाध्यक्ष

आयुक्त	-	श्री एम०एस० परस्ते आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
संचालक	-	श्री एम०एस० परस्ते, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग-एक	
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2–3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग/ मण्डल एवं अन्य समितियां	5–8
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	9–11
	भाग-दो	
6	विभागीय बजट 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 (अक्टूबर 2013 की स्थिति में)	14
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएं 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	15–23
	भाग-तीन	
8	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं	27–48
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	50
10	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	51–52
	भाग-चार	
11	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	54–63
12	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	64–66
	भाग-पांच	
13	अभिनव योजनाएं	68–71
	भाग-छः	
14	आगामी शिक्षण सत्र के लिये प्रस्तावित नवीन योजना	73
	भाग- सात	
15	सारांश	75

भाग – एक

छत्तीसगढ़ का मानचित्र

1. विभाग की संरचना

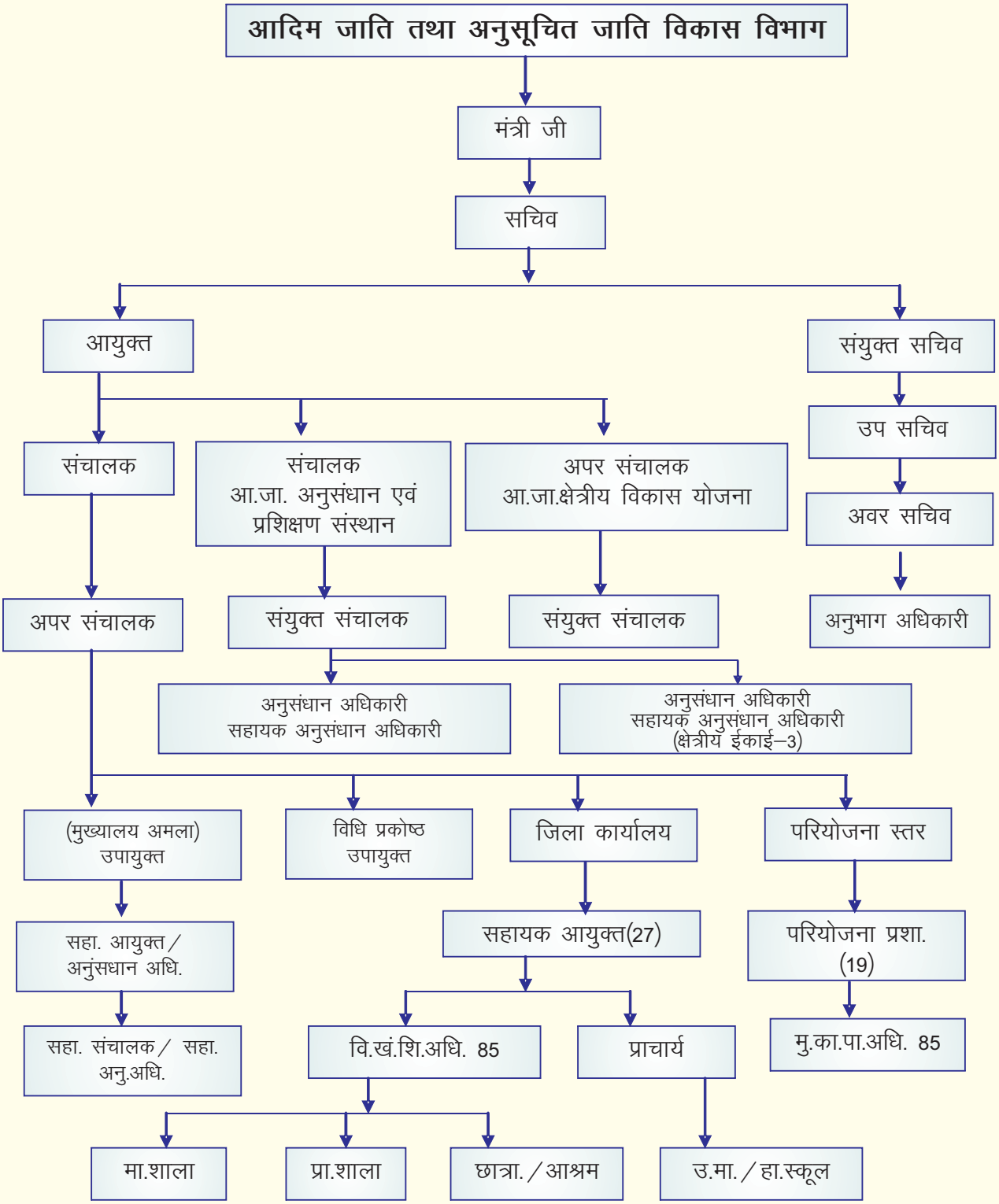
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्री जी
सचिव
आयुक्त
संयुक्त सचिव
संचालक
संचालक आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
अपर संचालक आ.जा.क्षेत्रीय विकास योजना
उप सचिव
अवर सचिव
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक
अनुभाग अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी (क्षेत्रीय ईकाई–3)
(मुख्यालय अमला) उपायुक्त
विधि प्रकोष्ठ उपायुक्त
जिला कार्यालय
परियोजना स्तर
सहा. आयुक्त / अनुसंधान अधि.
सहायक आयुक्त(27)
परियोजना प्रशा. (19)
सहा. संचालक / सहा. अनु.अधि.
वि.खं.शि.अधि. 85
प्राचार्य
मु.का.पा.अधि. 85
मा.शाला
प्रा.शाला
छात्रा. / आश्रम
उ.मा. / हा.स्कूल

2. विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियां रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा और लंबी है। प्रगति के अनगिनत सोपान अभी और तय किए जाने है।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री एवं माननीय संसदीय सचिव के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के अंत के लिए प्रयास भी करना है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प हैं।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव का पद निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यो की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यो के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कर्तव्यरत् हैं।

आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक होते हैं। आयुक्त/संचालक मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते है। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्चन्यायालय, न्याधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं, इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं यथा-छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीनस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, माड़ा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं। इन विकास खण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं 85 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पाकेट 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

3. विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष पिछड़े जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत परिवर्तन कर नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैधानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

4. विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठित है। वर्ष 2012 में परिषद् की दो बैठकें क्रमशः 13.07 2012 एवं 25.11.2012 को सम्पन्न हुई। छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र0/एफ-20-2/25-2/ आजाकवि/2009 रायपुर दिनांक-20 मई 2009 के द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली 2006 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	नाम अधिकारी / सम्माननीय जनप्रतिनिधि	पद
1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान. प्रभारी मंत्रीजी, आ.जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान. श्री सोहन पोटाई, सांसद कांकेर	सदस्य
6.	मान. श्री राम विचार नेताम, विधायक, पाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
7.	मान. श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक सामरी (अनु.ज.जा.)	सदस्य
8.	मान. श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक धरमजयगढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
9.	मान. श्री ननकी राम कंवर, विधायक, भरतपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
10.	मान. श्री फूलचंद सिंह, विधायक, रामपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
11.	मान. श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
12.	मान. श्री डमरूधर पुजारी, विधायक, बिन्द्रानवागढ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
13.	मान. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, विधायक, डौंडी लोहारा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
14.	मान. श्री ब्रम्हानंद विधायक, भानुप्रतापपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
15.	मान. श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक, कांकेर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
16.	मान. श्री सेवकराम नेताम, विधायक, केशकाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
17.	मान. सुश्री लता उसेण्डी, विधायक, कोण्डागांव (अनु.ज.जा.)	सदस्य
18.	मान. डॉ. सुभाउ कश्यप, विधायक, बस्तर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
19.	मान. श्री भीमा मण्डावी, विधायक, दंतेवाड़ा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
20.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
21.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनित सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे। दिसम्बर 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन विधान सभा गठन उपरान्त जनजाति सलाहकार परिषद् का पुर्नगठन किया जाना लम्बित है।

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा हेतु मान.मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति गठित है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2013 में समिति की बैठक दिनांक 19.07.2013 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी हैं उक्त समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2013 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की 84 बैठकें आयोजित की गई है।

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय श्री देवलाल दुग्गा दिनांक 31.05.2010 से पदस्थ हैं। आयोग के दो अशासकीय सदस्यों के पदों पर दिनांक 08.08.2011 से श्री सुकदेव तांती एवं श्री रामकिशुन सिंह पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्रावधानित राशि रुपये 135.00 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपये 110.75 लाख जारी की जा चुकी है।

4. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन/दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन/अनुसंधान/विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा-3(2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त हैं। वर्ष 2013-14 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना व्यय हेतु राशि रु. 90.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 67.50 लाख जारी की जा चुकी है।

5. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए, सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2013-14 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना व्यय हेतु राशि रुपए 60.00 लाख का प्रावधान है,जिसे वित्तीय जारी वर्ष के लिए जारी किया जा चुका है। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में राशि रुपए 40.00 लाख का प्रावधान शामिल किया गया है।

6. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष का एवं एक सदस्य का पद रिक्त है केवल एक सदस्य कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोग के स्थापना व्यय हेतु रुपए 80.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध राशि रूपए 60.00 लाख जारी किया जा चुका है।

7. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम :-

राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अंत्यावसायी सहाकारी वित्त एवं विकास निगम संचालित है। प्रदेश के सभी जिलों में निगम की जिला इकाईयाँ कार्यरत हैं। वर्तमान में निगम के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है।

8. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। वर्ष 2013-14 में हज कमेटी की स्थापना व्यय हेतु राशि रुपए 80.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 60.00 लाख जारी किया जा चुका है। हज कमेटी में माननीय डॉ0 सलीम राज अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य है।

9. छ०ग० राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ0ग0 राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य - मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देख-रेख, केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 के तहत् निर्देशों का पालन, मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। बोर्ड में अध्यक्ष पद पर माननीय मोहम्मद सलीम अशरफी एवं 10 सदस्य है। वर्ष 2013-14 के स्थापना व्यय हेतु राशि रुपए 80.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 60.00 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है।

10. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अकादमी का कार्य छ0ग0 में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नये रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन/साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों बीमार लेखकों को माली मदद करना आदि हैं। वर्ष 2013-14 में राज्य उर्दू अकादमी के स्थापना व्यय हेतु रुपए 40.00 लाख प्रावधान है, जिसका आवंटन जारी किया जा चुका है।

11. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है, पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर माननीय श्री छमेश्वर पटेल (जिला एवं सत्र न्यायधीश) के पद पर पदस्थ है, वर्ष 2013-14 में वक्फ अधिकरण के स्थापना व्यय हेतु राशि रुपए 80.00 लाख प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 60.00 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है।

टीप :- नवीन विधानसभा का गठन उपरान्त सभी निगम आयोग एवं मण्डल में अशासकीय सदस्यों को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदों पर मनोनयन/नियुक्ति की कार्यवाही लम्बित है।

12. विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण :-

छ0ग0 राज्य में निवासरत् 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदेश स्तर पर 6 विशेष अभिकरण हेतु अभिकरण स्तर पर गवर्निंगं बाडी गठित है। जिसका अध्यक्ष संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति का सदस्य मनोनीत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबुझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है तथा उक्त जनजातियां रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, रायपुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, कवर्धा, नारायणपुर जिलों में निवास करती है।

13. आवासीय विद्यालय समिति :-

भारत सरकार द्वारा निर्देशित राज्य के आठ एकलव्य आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए एक आवासीय विद्यालय समिति गठित है। मान.विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष तथा आयुक्त आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग पदेन सचिव है।

5. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल	135133 वर्ग कि.मी.
1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्गकिमी.
1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	88000 वर्गकिमी.
1.3	राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12
2.	जनगणना (2011)	
2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.(अ)	साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)	
	3.1 औसत	70.28%
	3.2 पुरुष	80.27%
	3.3 महिला	59.58%
3.(ब)	अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
	3.1 औसत	59.09
	3.2 पुरुष	69.67
	3.3 महिला	48.76
3.(स)	अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
	3.1 औसत	70.76
	3.2 पुरुष	81.66
	3.3 महिला	59.86
4.	राजस्व जिला	27
4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर।	13
4.2	आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल शेष जिले गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम	11
5.	आदिवासी विकासखंड	85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	19
7	माडा पाकेट	09
8.	लघु अंचल	02
9.	विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण	06

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (संपूर्ण)
2. कोरिया जिला (संपूर्ण)
3. बस्तर जिला (संपूर्ण)
4. दंतेवाड़ा जिला (संपूर्ण)
5. कांकेर जिला (संपूर्ण)
6. कोरबा जिला (संपूर्ण)
7. जशपुर जिला (संपूर्ण)
8. बीजापुर जिला (संपूर्ण)
9. नारायणपुर जिला (संपूर्ण)
10. बिलासपुर जिले के मरवाही, गौरेला-1 एवं गौरेला-2 आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
11. दुर्ग जिले में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
12. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
13. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
14. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
15. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड ।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	बस्तर	1. जगदलपुर		
2.	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3.	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4.	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5.	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6.	सुकमा	6. कोन्टा		
7.	बीजापुर	7. बीजापुर		
8.	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9.	बलौदाबाजार		1. बालोदाबाजार	1. धुरीबंधा
10.	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11.	महासमुंद		3. महासमुंद–1	
12.	बालोद	10. डोण्डीलोहारा	4. महासमुंद–2	
13.	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
14.	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15.	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16.	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17.	बलरामपुर	14. पाल		
18.	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19.	कोरबा	16. कोरबा		
20.	बिलासपुर	17. गौरेला		
21.	जांजगीर–चांपा		7. रूकजा	
22.	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर,	
23.	जशपुर	19. जशपुरनगर	9. सारंगढ़	

भाग – दो

वर्ष 2013–14 का बजट प्रावधान

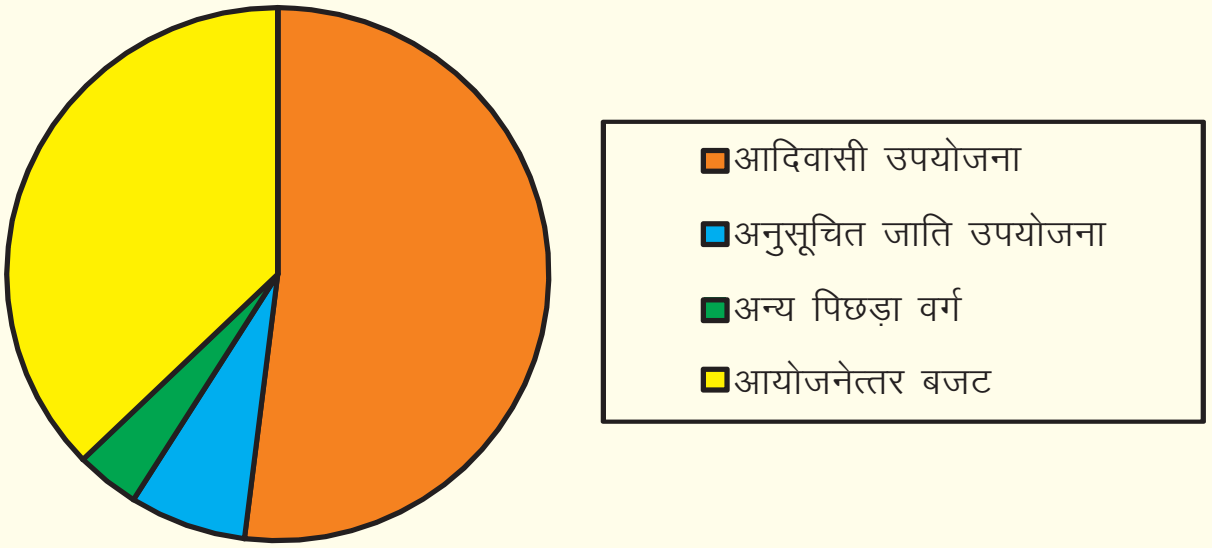

6. विभागीय बजट

विभागीय बजट (2011–2012)

(राशि लाखों में)

कंमाक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	162201.30	143606.25	88.54
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	22116.00	18178.69	82.19
3	अन्य पिछडा वर्ग	8622.40	7954.82	92.26
4	आयोजनेत्तर बजट	102835.40	88363.99	85.93
	योग-	**295775.10**	**258103.75**	**87.26**

विभागीय बजट (2012–2013)

(राशि लाखों में)

कंमाक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	184230.33	160429.72	87.08
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	16503.90	14459.08	87.61
3	अन्य पिछडा वर्ग	10276.90	8392.31	81.66
4	आयोजनेत्तर बजट	115221.50	89391.29	77.58
	योग-	**326232.63**	**272672.40**	**83.58**

विभागीय बजट (2013–2014) अक्टूबर 2013 की स्थिति में

(राशि लाखों में)

कंमाक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	183824.22	69035.98	37.56
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	24677.70	8353.60	33.85
3	अन्य पिछडा वर्ग	13520.00	4612.01	34.11
4	आयोजनेत्तर बजट	131667.40	72949.43	55.40
	योग-	**353689.32**	**154951.02**	**43.81**

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012				वष 2012 – 2013				वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म			
		बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य छात्रवृत्ति	4365.00	3441.41	छात्र/ छात्राएँ	867528	5025.00	5070.79	1203708	906567	10984.30	5483.25	11098432	10543510
2	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2100.00	1976.40	छात्र/ छात्राएँ	65952	2300.00	2223.11	150000	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन	2600.00	1183.51	110157	104649
3	आश्रम शाला योजना	13863.80	6718.37	छात्र/ छात्राएँ	74936	14831.00	11866.30	छात्र/ छात्राएँ	75200	16264.50	6669.46	छात्र/ छात्राएँ	70629
4	छात्रगृह योजना	12.00	6.67	छात्र/ छात्राएँ	200	15.00	7.73	छात्र/ छात्राएँ	250	0.00	0.00	–	–
5	माध्यमिक शिक्षा मंडल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	60.00	8.00	छात्र/ छात्राएँ	2000	60.00	15.16	जिला	02	60.00	4.00	छात्र/ छात्राएँ	1667
6	छात्रावास योजना	11277.80	6634.02	छात्र/ छात्राएँ	54054	13399.26	10397.21	छात्र/ छात्राएँ	55200	1400.55	5283.03	छात्र/ छात्राएँ	52544
7	प्राथमिक शाला	44452.00	212.00	संस्था	177278	45729.95	29186.81	संस्था	16920	34052.30	19065.59	संस्था	16941
8	माध्यमिक शाला	46603.00	110.00	संस्था	6646	45613.50	41875.02	संस्था	6547	45969.00	30022.37	संस्था	60202
9	हाईस्कूल	3080.00	227.99	संस्था	639	3493.30	3978.49	संस्था	935	5289.00	2709.89	संस्था	936
10	उच्चतर माध्यमिक शाला	19246.50	382.44	संस्था	709	21602.30	17965.82	संस्था	778	20836.50	13166.61	संस्था	887
11	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	4052.40	4049.02	संस्था	नियमित30 एकमुश्त102	4821.98	4574.70	संस्था	नियमित30	5238.50	3140.74	संस्था	नियमित30 एकमुश्त142
12	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	3.00	0.93	छात्र/ छात्राएँ	225	3.00	6.63	666	212	3.00	0.00	–	–
13	आगमन भत्ता	70.40	0.19	छात्र/ छात्राएँ	8907	77.00	70.70	छात्र/ छात्राएँ	13500	85.00	244.50	छात्र/ छात्राएँ	7034
14	विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन	1533.00	1013.11	छात्र/ छात्राएँ	2595	2290.10	2238.25	छात्र/ छात्राएँ	4305	2714.80	1126.76	छात्र/ छात्राएँ	5448

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012				वष 2012 – 2013				वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म			
		बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना 41/2202 एवं 64/2202	1030.00	982.82	छात्र/ छात्राएँ	1036	932.24	704.32	छात्र/ छात्राएँ	960	1100.00	330.22	छात्र/ छात्राएँ	863
16	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनो का निर्माण	1740.00	1740.00	9 कार्य	5 कार्य	3800.00	763.09	156 कार्य	4 5 कार्य6 (पूर्व वर्षो के(अपूर्ण कार्य)	772.00	980.75	94 कार्य	8 8 कार्य पूर्व वर्षो के अपूर्ण कार्य)
17	परीक्षा पूर्वप्रशिक्षण केन्द्र	40.00	11.98	छात्र/ छात्राएँ	250	229.20	19.58	छात्र/ छात्राएँ	154	200.00	7.76	छात्र/ छात्राएँ	55
18	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	15.00	15.00	व्यक्ति/ संस्था	02 पुरस्कार	15.00	15.00	व्यक्ति/ संस्था	05 पुरस्कार	7.50	0.00	—	—
19	आदिवासी अन्वेषण संस्था	127.60	56.82	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते1	07.30	47.76	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते	131.90	72.24	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते
20	हाईस्कूल में अध्ययनरत अनु.ज.जा.छात्राओं को निशुल्कसायकल प्रदाय	820.00	820.00	छात्राएँ	32907	1092.40	1092.40	छात्राएँ	36928	1200.00	1066.74	छात्राएँ	36498
21	निशुल्क गणवेश प्रदाय योजना	1342.70	350.28	छात्र/ छात्राएँ	519000	900.00	900.00	छात्र/ छात्राएँ	477695	2009.00	1776.25	छात्राएँ	503042
22	छात्र भोजन सहाय योजना	177.00	0.27	छात्र/ छात्राएँ	11024	300.00	280.54	छात्र/ छात्राएँ	13500	400.00	120.70	छात्र/ छात्राएँ	10235
23	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	275.00	0.02	छात्र/ छात्राएँ	-	194.00	0.00	—	194.00	200.00	0.00	—	—
24	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	150.00	29.29	छात्र/ छात्राएँ	21944	175.00	118.36	छात्र/ छात्राएँ	22120	175.00	18.75	छात्र/ छात्राएँ	20590
25	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (अनु.जनजाति)	360.00	175.36	छात्र/ छात्राएँ	55000	360.00	350.64	छात्राएँ	43000	330.00	92.87	छात्राएँ	37148

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012				वष 2012 – 2013				वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म			
		बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य छात्रवृत्ति	1625.00	1052.60	छात्र/ छात्राएँ	328983	1700.00	1693.36	5684.00	282856	5566.00	1833.88	512828	487186
2	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1460.00	1199.00	छात्र/छात्राएँ	41985	2100.00	194600	---	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन	2100.00	900.00	50801	48260
3	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	200.00	143.20	छात्र/ छात्राएँ	9917	300.00	0.00	26621	22433	250.00	83.00	24676	23442
4	छात्रगृह योजना	17.50	5.00	छात्र/छात्राएँ	350	17.50	14.48	छात्र/छात्राएँ	400	0.00	0.00	—	—
5	आश्रम शाला योजना	728.50	555.34	छात्र/ छात्राएँ	2692	5455.50	862.92	छात्र/ छात्राएँ	3000	1271.80	614.59	छात्र/ छात्राएँ	3690
6	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	420.00	400.11	संस्था	नियमित03 एकमुश्त 21	403.00	188.75	संस्था	नियमित03	408.00	177.44	संस्था	नियमित03 एकमुश्त11
7	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	81.90	4.12	प्रशिक्षणार्थी तथा वेतनभत्ते	250	128.20	95.30	प्रशिक्षणार्थी तथा वेतनभत्ते	122	143.70	71.66	प्रशिक्षणार्थी तथा वेतनभत्ते	52
8	छात्रावास योजना	3707.00	2164.23	छात्र/संस्था	12151	3902.50	3429.60	छात्र/संस्था	13150	4874.90	2021.31	छात्र/संस्था	14276
9	निशुल्क गणवेश प्रदाय योजना	330.00	330.00	छात्र/ छात्राएँ	56925	150.00	150.00	छात्र/ छात्राएँ	53103	335.00	335.00	छात्राएँ	57312
10	आगमन भत्ता	26.80	18.19	छात्र/संस्था	3053	26.80	21.80	छात्र/संस्था	4315	30.00	9.50	छात्र/संस्था	2067
11	हाईस्कूल में अध्ययनरत अनु0जा0छात्राओं को निशुल्क सायकल प्रदाय	125.00	120.00	छात्राएँ	4393	171.70	0.00	छात्राएँ	5804	190.00	0.00	छात्राएँ5	431
12	छात्र भोजन सहाय योजना	71.00	58.47	छात्र/ छात्राएँ	3471	90.00	77.30	छात्र/ छात्राएँ	4420	300.00	102.15	छात्र/ छात्राएँ	2876
13	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना (अनु.जाति)	170.00	170.00	छात्राएँ	34000	170.00	157.54	छात्राएँ	16000	180.00	58.86	छात्राएँ2	3544
14	मेघावी छात्रों उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	180.00	177.74	छात्र/ छात्राएँ	169	230.00	213.88	छात्र/ छात्राएँ	202	250.00	97.17	छात्र/ छात्राएँ	303

अन्य पिछडा वर्ग

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012				वष 2012 – 2013				वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म			
		बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य छात्रवृत्ति	2450.00	1818.25	छात्र/ छात्राएँ	565165	2650.00	2540.41	1460.00	590598	5200.00	1555.12	1239782	1177792
2	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	3500.00	2726.04	छात्र/ छात्राएँ	81828	4850.00	4850.00	192500	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन	4200.00	4200.00	168413	159992
3	हाई स्कूल में अध्ययनरत पि0वर्ग छात्राओं को निःशुल्क सायकल	365.00	365.00	छात्राएँ	13774	515.00	233.94	छात्राएँ	17475	567.00	481.07	छात्राएँ	17000

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012				वष 2012 – 2013				वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म			
		बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अस्वच्छ धंधो में लगे लोगों के बच्चो के लिए छात्रवृत्ति	225.26	168.09	21300	9172	100.00	296.01	26621	--	0.00	0.00	10791	10251
2	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजना	12.00	8.03	शिविर	21 शिविर	22.00	18.00	शिविर	09 जिले2	2.00	8.29	शिविर	13
3	आ.जा./आ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुर्नवास	150.00	143.81	हितग्राही	546	334.40	227.91	हितग्राही	382	350.00	170.66	हितग्राही	513
4	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	20.00	19.71	दम्पत्ति	61	30.00	27.48	दम्पत्ति	63	30.00	7.81	दम्पत्ति	25
5	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64/4202)	400.00	-	-	-	500.00	-	-	-	750.00	0.00	-	-

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012				वष 2012 – 2013				वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म			
		बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	छात्रावास तथा आश्रम भवन निर्माण (41/4202)	5000.00	–	–	–	1000.00	–	–	–	1000.00	450.00	12	–
7	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	257.90	182.37	वेतन भत्तेअ	वेतन भत्ते ादि	380.92	294.83	वेतन भत्तेव आदि	ेतन भत्ते आदि	461.62	143.20	वेतन भत्ते आदि	वेतन भत्ते आदि
8	छात्रावास लघु निर्माण (66/4225)	0.50	–	–	–	0.50	0.00	–	–	0.50	0.00	–	–
9	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन	13200.00	11906.77	छात्र/ छात्राएँ	962356	13200.00	9943.22	छात्र/ छात्राएँ	1052749	13200.00	3255.82	छात्र/ छात्राएँ	1056574
10	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	4600.00	4681.33	छात्र/ छात्राएँ	467363	6000.00	5571.91	छात्र/ छात्राएँ	543190	7000.00	2178.59	छात्र/ छात्राएँ	567781

आदिवासी उपयोजना–बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

आदिवासी उपयोजना		
	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
2011–12	1622.01	1436.08
2012–13	1842.30	1617.17
2013–14(दिसम्बर की स्थिति में)	1850.09	58.19

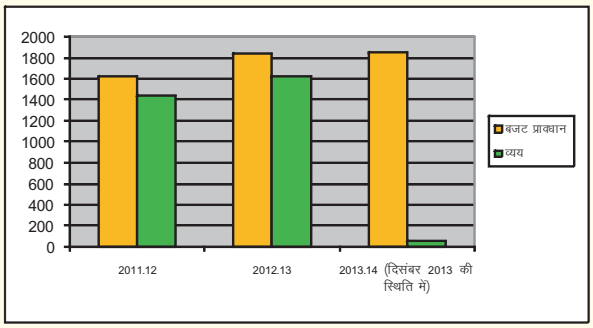

अनुसूचित जाति उपयोजना–बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

अनुसूचित जाति उपयोजना		
	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
2011–12	221.16	181.79
2012–13	165.03	150.48
2013–14(दिसम्बर की स्थिति में)	219.91	19.02

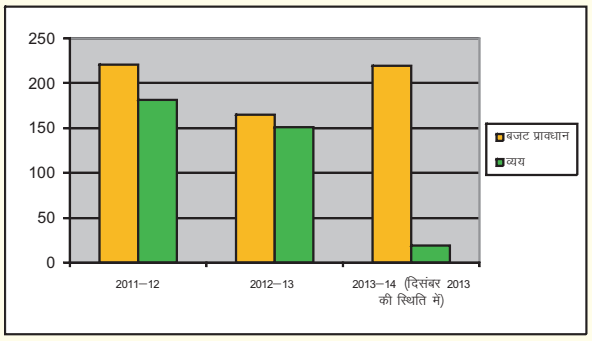

(द) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012					वष 2012 – 2013					वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म				
		बजट पावधान	कन्द स पाप्त रा ि	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	कन्द स पाप्त रा ि	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	कन्द स पाप्त रा ि	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्य	54.50	33.79	33.79	12	12	54.50	38.00	3344	29	29	41.80	28.50	--	16	--
2	विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण	777.40	644.00	644.50	180	180	777.40	650.00	644.51	159	159	715.00	--	--	201	--
3	एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	8784.40	6942.86	6942.86	3287	3287	12147.30	8113.00	7240.23	2542	2542	10079.30	6009.22	--	641	--
4	माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	804.70	654.83	654.83	210	210	977.00	677.00	654.86	201	201	1074.70	507.75	--	117	--
5	वन ग्रामों का विकास	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1197.20	1197.20	1997.00	1	1	100.00	--	--	--	--

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखों में)

क्र	याजना का नाम	वष 2011 – 2012					वष 2012 – 2013					वष 2013 – 2014 अक्टबर 2013 की स्थिति म				
		बजट पावधान	कन्द स पाप्त रा ि	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	कन्द स पाप्त रा ि	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि	बजट पावधान	कन्द स पाप्त रा ि	व्यय	भातिक इकाइ	भातिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	1827.00	345.97	346.45	छात्र/ छात्राएँ	73332	1900.00	890.00	890.00	150000	वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन	2300.00	--	--	110157	104649
2	व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा अन्य प्रभार	300.00	107.865	107.865	संस्था	11	300.00	अप्राप्त	--	संस्था	11	300.00	अप्राप्त	--	संस्था/ हितग्राही	11/ 1100
3	अ.ज.जा. छात्रों के प्रावीण्य में उन्नयन	45.00	भारत सरकार से राशि अप्राप्त	अप्राप्त	विद्यार्थी	0	45.00	54.00	45.00	संस्था	140 छात्र/ छात्राएँ	45.00	अप्राप्त	--	संस्था 05	140 छात्र/ छात्राएँ
4	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना	2.00	अप्राप्त	निरंक	सामग्री पूर्तिप	अप्राप्त	2.00	अप्राप्त	निरंक	सामग्री ूर्ति	अप्राप्त	2.00	अप्राप्त	--	सामग्री	--

आदिवासी उपयोजना

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011 – 2012					वर्ष 2012 – 2013					वर्ष 2013 – 2014 अक्टूबर 2013 की स्थिति में				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275 (1)	1480.10	412.92	412.92	2450	412.92	1500.00	13.32	1480.10	आवासीय विद्यालय में 2760 छात्र छात्राएं 11	2760 छात्र 11	1550.00	1314.55	--	12	--
2	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2836.00	2835.88	2835.88	718	718	2836.00	2000.00	2000.00	–	--	2200.00	1400.00	--	205	--
3	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	7777.48	7376.80	7376.80	855	855	9293.30	5950.00	7376.80	642	642	10221.50	5565.94	--	513	--

अनुसूचित जाति उपयोजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2011 – 2012					वर्ष 2012 – 2013					वर्ष 2013 – 2014 अक्टूबर 2013 की स्थिति में				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पो0मे0 छात्रवृत्ति	2457.80	787.20	765.52	छात्र/ छात्राएँ	45063	1000.00	854.89	—	77811	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	3785.80	2685.80	2685.80	69800	66310
2	अनुसूचित जाति छात्रों के प्रावीण्य में उन्नयन	16.35	12.26	10.10	छात्र/ छात्राएँ	16.00	12.30	10.94	10.94	छात्र/ छात्राएँ	105	16.00	अप्राप्त	--	छात्र/ छात्राएँ	105

भाग – तीन

8. विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- विभागीय छात्रावासों का संचालन
- विभागीय आश्रमों का संचालन
- शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन
- राज्य छात्रवृत्ति
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(अनुसूचित जाति/जनजाति)
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(पिछड़ा वर्ग)
- अस्वच्छ धंधे में कार्यरत लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
- निःशुल्क गणवेश प्रदाय
- जवाहर अनुसूचित जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना
- जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना
- निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण
- मध्यान्ह्न भोजन कार्यक्रम योजना (एम.डी.एम.)
- छात्र भोजन सहाय योजना
- प्रावीण्य उन्नयन योजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)
- छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
- छात्रावासी विद्यार्थियों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
- स्वस्थ तन - स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
- मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना
- एकलव्य आवासीय विद्यालय
- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों/युवकों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना
- हॉस्पिटालिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना
- अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
- रविदास चर्म शिल्प योजना
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 अंतर्गत राहत योजना
- आदिवासी/अनु.जाति राहत योजना
- सम्मान एवं पुरस्कार
- लोककला महोत्सव
- आदिवासी सांस्कृतिक दलों का सहायता योजना
- जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास
- सूचना का अधिकार

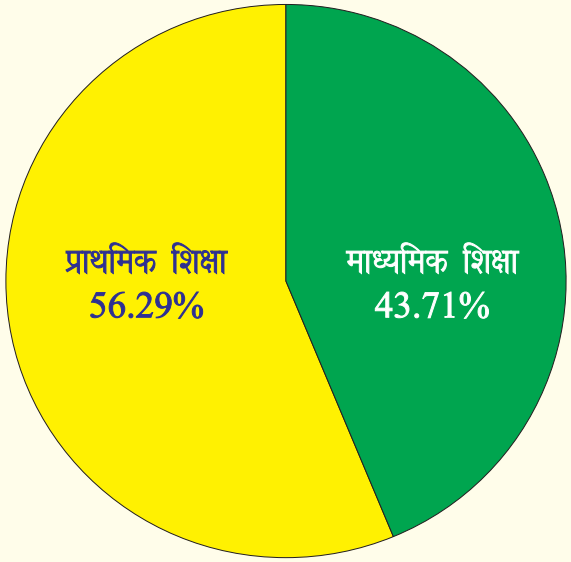

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का बजट 2013–14 में अंश

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2013–14 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु.क.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	आश्रम	योग	
1.	अनुसूचित जनजाति	1280	290	1173	2743	156472
2.	अनुसूचित जाति	341	88	51	480	24926
3.	अन्य पिछड़े वर्ग	08	15	0	23	1250
	योग	**1629**	**393**	**1224**	**3246**	**182648**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2013–14

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	148	142	290	8255	8150	16405
प्री-मैट्रिक	878	402	1280	38730	22547	61277
योग	**1026**	**544**	**1570**	**46985**	**30697**	**77682**

अनुसूचित जाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2013–14

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	48	40	88	2900	2380	5280
प्री-मैट्रिक	198	143	341	8685	7516	16001
योग	**246**	**183**	**429**	**11585**	**9696**	**21281**

नोट :- प्री0 मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 650/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 750/- प्रतिमाह की दर से वर्ष 2013-14 से शिष्यवृत्ति भुगतान किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2013–14

आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
माध्यमिक आश्रम	33	50	86	3405	4800	8205
प्राथमिक आश्रम	656	431	1087	45940	24645	70585
योग	**692**	**481**	**1173**	**49345**	**28285**	**78790**

अनुसूचित जाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2013–14

आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
माध्यमिक आश्रम	01	02	03	50	220	270
प्राथमिक आश्रम	25	23	48	1750	1525	3375
योग	**26**	**25**	**51**	**1800**	**1845**	**3645**

पिछड़ा वर्ग छात्रवास
शैक्षणिक सत्र 2013–14

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	08	07	15	400	450	850
प्री मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
योग	**11**	**12**	**23**	**550**	**700**	**1250**

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

1. शैक्षणिक गतिविधियाँ :-शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है:-

संस्था का नाम	संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
प्राथमिक शाला सर्व शिक्षा अभियान सहित	16920	940348
माध्यमिक शाला सर्व शिक्षा अभियान सहित	6547	500781
हाई स्कूल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सहित	886	267267
उच्चतर माध्य. शाला	883	131073
आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक शाला(आवासीय)	05	1217
कन्या शिक्षा परिसर(आवासीय)	05	1550
कन्या शिक्षा परिसर(प्राथमिक स्तर)(आवासीय)	02	280
गुरुकुल विद्यालय(आवासीय)	01	278
खेल परिसर(आवासीय)	13	1297
आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय	16	3074
कुल योग	**25278**	**1847165**

आदिवासी क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 में 56 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल एवं 105 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया गया है। इसके अन्तर्गत दूरस्थ अंचल के करीब 5000 छात्रों को शैक्षणिक लाभ मिल रहा है।

2. राज्य छात्रवृत्तिः-

- प्रदेश के लगभग 31.00 लाख आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को जो विभिन्न स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् हैं, के शैक्षणिक विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- कक्षा 3 से 5वीं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को तथा कक्षा 6वीं से 10वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :-

1. कक्षा 3री से 5वीं (छात्राएँ) - रु. 500 प्रति वर्ष (10 माह हेतु)
2. कक्षा 6वीं से 8वीं :-
   - अ. बालक - रु. 600 प्रति वर्ष (10माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
     रु. 300 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)
   - ब. बालिका - रु. 800 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, अ.जा.,अ.ज.जा.)
     रु. 450 प्रति वर्ष (10 माह हेतु, पि.वर्ग)
3. कक्षा 9वीं से 10वीं :-
   - अ. बालक - रु. 800 प्रति वर्ष (10 माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
     रु. 450 प्रति वर्ष (10 माह हेतु पि.वर्ग)
   - ब. बालिका - रु. 1000 प्रति वर्ष (10 माह हेतु अ.जा., अ.ज.जा.)
     रु. 600 प्रति वर्ष (10 माह हेतु पि.वर्ग)

- छात्रवृत्ति का भुगतान प्रथम चार माह के लिए सितम्बर तक तथा शेष छः माह के लिए जनवरी तक भुगतान किए जाने के निर्देश हैं।
- वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के कुल 488408, अनुसूचित जनजाति के 1056993 एवं पिछड़ा वर्ग में 1180726 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए है। इसके लिए क्रमशः 1408.48 लाख, 3799.66 लाख एवं 2430.73 लाख की राशि वितरित की गई हैं।
- वर्ष 2013-14 में जिलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। अनुसूचित जाति के 512828 अनुसूचित जनजाति के 1109843 तथा पिछड़ा वर्ग के 1239762 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का लक्ष्य है। स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही जारी है।

3. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु०जा० एवं अ०ज०जा०):-

➢ कक्षा 11वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के रु. 2.50 लाख तथा अनुसूचित जाति हेतु 2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र/छात्राएँ इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू है :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें			
	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपए) अनु.ज.जा.		अनुसूचित जाति 1.7.2010 संशोधित	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- औषधि (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम (एम.फिल, पीएच. डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान)	1200	550	1200	550
समूह-2- समूह-1 में शामिल न किए गए अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम.फिल., पी.एच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठ्यक्रम। सी.ए./ आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. आदि पाठ्यक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम।	820	530	820	530
समूह-3- स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	570	300	570	300
समूह -4 - समूह '2' या '3' में शामिल न किए गए 10+2 पद्धति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई टी आई पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्र (न्यूनतम वांछित योग्यता कम से कम मेट्रिकुलेशन है)	380	233	380	233

➢ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जनजाति के 100302 तथा अनुसूचित जाति के 63496 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए क्रमशः 4578.59 एवं 3569.05 लाख की राशि वितरित की गई है। वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 4900.00 लाख तथा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में कुल 5830.32 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही ई-बैकिंग के माध्यम से किया जा रहा है।

4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पिछड़ा वर्ग)

- पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रु. 1,00,000/- तक वार्षिक आय होने पर छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की पात्रता की है।
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ -मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ- डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ- सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई- सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स- कक्षा - 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा - 12 वीं		100	110	55	70

- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 153196 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए 6099.33 लाख की राशि वितरित की गई है। वर्ष 2013-14 में योजना अंतर्गत कुल राशि रु. 4200.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है। स्वीकृति की कार्यवाही ई-बैकिंग के माध्यम से किया जा रहा है।

ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति/जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। विगत कुछ वर्षो से छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ छात्रवृत्ति की समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने में प्रशासन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए इस वर्ष से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराईजेशन किया जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था की गई है तथा राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति'' कार्ड आबंटित किए गए हैं। उपरोक्त कार्ड हेतु विद्यार्थियों को किसी प्रकार का बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।

किसी विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नया आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति'' कार्ड में छात्रवृत्ति की राशि जमा होने की सूचना विद्यार्थियों को मोबाइल पर SMS से दी जाती है। सूचना मिलते ही राशि का आहरण किसी भी बैंक के ATM से कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ATM न होने के कारण कई केन्द्रों पर ''बिजनेस करेसपॉडेंट'' (BC) की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों पर ATM की भाँति राशि आहरित की जा सकती है।

वर्तमान में छात्रवृत्ति का वितरण करने के लिए ऑनलाइन स्वीकृति करके राशि सीधे छात्रों को ''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति कार्ड'' में जमा की जा रही है। सत्र 2012-13 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आने वाले 3.50 लाख विद्यार्थियों को ''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति कार्ड'' का वितरण किया गया है। सत्र 2013-14 में 1.50 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा संगी कार्ड दिए जाने का लक्ष्य है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेब पोर्टल तैयार करने में NIC भोपाल द्वारा किए गए पॉयनियर वर्क के फलस्वरूप e-scholarship योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ किए जाने में बड़ी सहायता प्राप्त हुई है तथा छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु लीड बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक द्वारा जीरो बैलेंस पर निःशुल्क ATM कार्ड वितरण के फलस्वरूप योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया गया है।

5. अस्वच्छ धंधे में कार्यरत् लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति :-

- अस्वच्छ व्यवसाय, जैसे मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालने, छिलने और पकाने, सुलभ शौचालय से मैला सफाई कार्य में संलग्न एवं कचड़ा उठाने वाले परिवार के बच्चों को प्री0मै0 स्तर तक (कक्षा 10वीं तक) छात्रवृत्ति दी जाती है।
- उपर्युक्त छात्रवृत्ति के लिए भारत सरकार द्वारा दिनाँक-19.08.2013 से निम्न दरें निर्धारित की गई हैं:-
- **कक्षा - छात्रवृत्ति की दरें**

  1 से 2 तक -110 रुपए प्रतिमाह (10 माह हेतु 1100 रुपये)

  कक्षा 3 से 10 तकं-110 रुपए प्रतिमाह (10 माह हेतु 1100 रुपये)
- **छात्रावास में रहने के लिए छात्रवृत्ति की दरें**

  3 से 10 तक -700 रुपए प्रतिमाह (10 माह हेतु 7000 रु.)
- उपर्युक्त के अतिरिक्त दिवा छात्रों/छात्रावासी छात्रों को क्रमशः रुपए 750 तथा रुपए 1000 वार्षिक तदर्थ अनुदान दिया जाता है।
- इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 11972 छात्र/छात्राओं के लिए राशि रुपए 249.84 लाख व्यय किए गए हैं।
- इस योजना के लिए वर्ष 2013-14 में राशि रुपए 250.00 लाख का बजट प्रावधान है।

6. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति :-

भारत सरकार, अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएँ प्रारंभ की गई है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री.मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पो.मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

1. मैट्रिक पूर्व (प्री.मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

क्रमांक	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	कक्षा 1ली से 5वीं तक		-	100/- प्रतिमाह (10 माह हेतु)
2.	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/- प्रतिवर्ष	500/- प्रतिवर्ष
		शिक्षण शुक्ल	350/- प्रतिमाह	350/- प्रतिमाह (10 माह हेतु)
		भरण पोषण भत्ता	600/- प्रतिमाह	100/- प्रतिमाह

पात्राता :-

- पिछली वार्षिक परीक्षा से (कक्षा 1 को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक।
- पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न हो।

प्रगति :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में 18235 छात्रों को रु. 572.27 लाख स्वीकृत की गई है। वर्ष 2013-14 में 19818 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु राशि रु. 900.00 लाख (रु. 675.00 लाख केन्द्रीय हिस्सा तथा रु. 225.00 लाख राज्यांश) का बजट प्रावधान है।

2. मैट्रिकोत्तर (पो.मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7000/- प्रतिवर्ष	7000/- प्रतिवर्ष
2.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/- प्रतिवर्ष	10,000/- प्रतिवर्ष
3.	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3000/- प्रतिवर्ष	3000/- प्रतिवर्ष
4.	अनुरक्षण भत्ता(10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/- प्रतिमाह	230/- प्रतिमाह
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर	570/- प्रतिमाह	300/- प्रतिमाह
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/- प्रतिमाह	550/- प्रतिमाह

पात्राता :-

- जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रु. 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

प्रगति :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में 2615 छात्रों को रु. 226.996 लाख स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2013-14 में 2449 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु राशि रु. 500.00 लाख का बजट प्रावधान है।

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति :-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1.	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/-	रू. 500/- प्रति माह की दर से कुल 5000/-
2.	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो।

पात्राता :-

- यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
- यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है, तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत हो।
- पालक की सभी स्रोतों से आय रुपए 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।

प्रगति :-

इस योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में 251 छात्रों को रुपए 71.651 लाख स्वीकृत की गई है। वर्ष 2013-14 में 297 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु राशि रुपए 224.00 लाख का बजट प्रावधान है।

7. निःशुल्क गणवेश प्रदाय :-

- प्रदेश के आदिवासी अंचल में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने, शिक्षा त्यागने की प्रवृत्ति कम करने एवं शिक्षा के प्रति सतत जागरुकता बढ़ाने के लिए आदिवासी विकास खण्ड़ों में अध्ययनरत छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को गणवेश वितरण किया जाता है। वर्ष 2013-14 में कुल संख्या 560354 छात्र/छात्राओं को गणवेश प्रदाय किया गया है।
- वर्ष 2013-14 में अन्य पिछड़ा वर्ग ए.पी.एल. वर्ग के स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को गणवेश दिया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 134294 छात्रों को 2 सेट गणवेश वितरण किया गया है।
- वर्ष 2013-14 में वित्तीय प्रावधान एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ग	प्रावधान	भौतिक उपलब्धि
अनुसूचित जनजाति	2009.00	5,03,042
अनुसूचित जाति	335.00	57,312
अन्य पिछड़ा वर्ग	800.00	1,34,294
योग-		**6,94,648**

8. जवाहर अनुसूचित जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :-

- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने वाले मँहगे पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं की मँहगी फीस के कारण इन विद्यालयों में उच्च सम्भ्रान्त परिवार के बच्चे ही प्रवेश ले पाते है। प्रतिभावान गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र इससे वंचित रह जातें हैं, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के 50 छात्रों को कक्षा 6वीं में एवं 20 छात्रों का कक्षा 9वीं में राज्य स्तर पर चयन कर, राज्य के बेहतर परिणाम देने वाले स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं में पढ़ने वाले चयनित छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में वर्ष 2013-14 में रुपए 250.00 लाख का प्रावधान है, एवं 311 छात्र/छात्राएँ लाभान्वित हो रहे है।

9. जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :-

- शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ मानदंड स्थापित करने वाले मँहगे पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं की मँहगी फीस के कारण इन विद्यालयों में उच्च समभ्रान्त परिवार के बच्चे ही प्रवेश ले पाते हैं। प्रतिभावान गरीब आदिवासी छात्र इससे वंचित रह जाते हैं, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से प्रतिभावान 130 आदिवासी छात्रों को राज्य स्तर पर चयन कर, राज्य के बेहतर परिणाम वाले पब्लिक स्कूलों में (कक्षा 6वीं में 100 एवं 9वीं में 30 छात्रों को) प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
- इस योजना में वर्ष 2013-14 में कुल- 875 छात्र/छात्राएँ लाभांवित हो रहे हैं।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1100.00 लाख का प्रावधान है।

10. निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना :-

आदिवासी बालिकाओं में माध्यमिक स्तर के शिक्षा के पश्चात् शाला त्यागने की प्रवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 से कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई है। आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति यथा नदी, पहाड़, एक ग्राम से दूसरे ग्राम की दूरी, ग्रामों का पारा टोले में विभाजन, बिरल एवं बिखरी हुई जनसंख्या भी छात्राओं को आगे की शिक्षा जारी रखने में बाधा उत्पन्न करती है। योजना की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 2006-07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को भी सायकल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया तत्पश्चात् वर्ष 2007-08 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्राओं को भी निःशुल्क सायकल वितरण करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2012-13 से यह योजना अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं के लिए भी लागू की गई। वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 36498 अनुसूचित जाति के 5431, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17000 तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के 1237 इस प्रकार कुल 60166 बालिका/बालकों को योजना से लाभान्वित किया गया है।

➢ वर्ष 2013-14 में निम्नानुसार सायकल वितरित की गई है:-

(राशि लाखों में)

वर्ग	विभागीय संख्या	
	प्रावधान	वितरित सायकल
अनुसूचित जाति	190.00	5431
अनुसूचित जनजाति	1200.00	36498
विशेष पिछड़ी जनजाति	...	1237
अन्य पिछडा वर्ग	567.00	17000
योग :-	**1957.00**	**60166.00**

निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि :-

➢ योजना प्रारंभ वर्ष 2004-05 से निरन्तर बालिका दर्ज संख्या में वृद्धि।

➢ कक्षा 9वीं में जेंडर गैप वर्ष 2010-11 से शून्य तथा बालिकाओं की संख्या बालकों से अधिक।

➢ 2005-06 से 2012-13 में बालकों की दर्ज संख्या में दोगुनी वृद्धि जबकि इसी अवधि में बालिकाओं की दर्ज संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई।

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	जेंडर गैप
1	2005-06	58564	39042	19522
2	2006-07	70491	51673	18818
3	2007-08	75727	59631	16096
4	2008-09	78756	62016	16740
5	2009-10	104814	93033	11781
6	2010-11	108595	108680	-85
7	2011-12	118671	119483	-812
8	2012-13	136585	138177	-1592

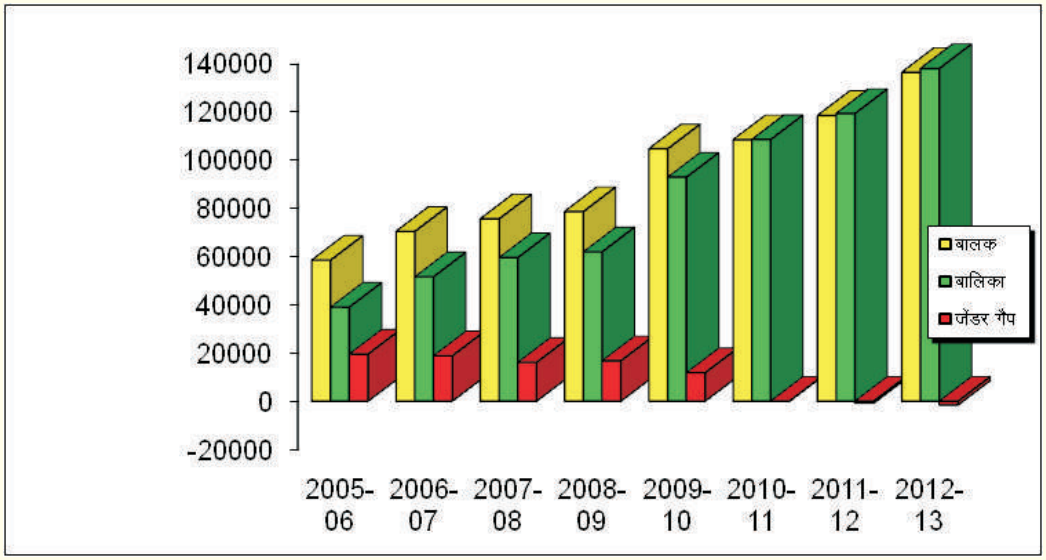

11. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरणः-

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना,वि.ख.सुकमा

- कक्षा 1ली से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तकों का वितरण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है।
- विभागीय संस्थाओं के कक्षा 9वीं से 10वीं में अध्ययनरत् समस्त छात्राओं को हाईस्कूल तक की शिक्षा के प्रति रुझान एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2013-14 में कक्षा 9वीं से 10वीं तक कुल-3,57,623 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

12. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना (एम.डी.एम.) :-

भोजन करते हुए

राज्य के 85 आदिवासी विकासखण्डों के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस 100 ग्राम चावल के मान से एवं माध्यमिक शालाओं के प्रति छात्र प्रति कार्यदिवस 150 ग्राम चावल के मान से केन्द शासन द्वारा चावल निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। योजना से लगभग 1624355 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

प्राथमिक शालाओं के लिए प्रति छात्र रु. 3.92/- प्रतिदिन एवं माध्यमिक शालाओं के लिए रु. 5.05/- प्रतिदिन के लिए कुकिंग कास्ट की राशि निर्धारित है, जिससे ईंधन, दाल, सब्जी, नमक, तेल की व्यवस्था होती है।

रसोईया के मानदेय हेतु पृथक से प्रति रसोईया प्रतिमाह 1200/- के मान से मानदेय की व्यवस्था निर्धारित है। पोषण आहार की कमी को दूर करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत प्रतिदिन शाला में ही गरम भोजन पकाकर परोसने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन पकाने का कार्य महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संपादित किया जा रहा है।

13. छात्र भोजन सहाय योजनाः-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियाँ उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई हैं।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2013-14 में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 400/- रुपए उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।

➢ योजना के तहत् वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	300.00	5280
अनुसूचित जनजाति	400.00	16405
योग -	**700.00**	**21685**

14. प्रावीण्य उन्नयन योजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) :-

यह योजना भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शतप्रतिशत सहायतार्थ राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र-छात्राओं के प्रावीण्य उन्नयन की योजना जुलाई 1999 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों हेतु रु. 15000/- एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु रु. 19500/- प्रति विद्यार्थी के मान से व्यय किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

15. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना:-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रावीण्यता बढ़ाना है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सकें, जिससे सामान्य स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की तुलना में छात्रावासीय सुविधाओं के साथ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। गणित एवं विज्ञान विषयों के अध्ययन में विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर करने हेतु विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकास खण्ड़ों पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2013-14 में इस हेतु रूपए 225.00 लाख प्रावधानित है। इससे लगभग 35000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

16. स्वस्थ्य तन - स्वस्थ्य मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अन्तर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना 2007-08 के बजट में प्रथम बार प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए इस योजना अंतर्गत राशि रु.110.00 लाख का प्रावधान है। जिसमें 39850 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

17. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :-

कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र जो बोर्ड की परीक्षा में कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते है, उन्हें रुपए 15,000 प्रतिवर्ष एक मुश्त छात्रवृत्ति दिया जाता है। इस योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थी का चयन किया जाता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 10वीं के 150 एवं कक्षा 12वीं के 150, इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के कक्षा 10वीं के 350 कक्षा 12वीं के 350 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति हेतु रूपए 45.00 लाख व अनुसूचित जनजाति हेतु रूपए 105.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया है। वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति के 700 छात्र/छात्राओं का चयन किया गया तथा 300 अनुसूचित जाति इस प्रकार कुल-1000 छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जा रहा है।

18. एकलव्य आवासीय विद्यालय :-

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। इसमें 6 बालक तथा 2 कन्या, 4 संयुक्त इस प्रकार कुल-12 आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देना है। वर्ष 2013-14 में रु 1550.00 लाख का बजट प्रावधान है।

'शिक्षा के साथ अनुशासन का पाठ'
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसाद नगर, जिला- सूरजपुर

19. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदानः-

अनुसूचित जाति, जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2013-14 में प्रावधान निम्नानुसार है :-

अनुदान प्राप्त संस्थाएं,	प्रावधान (लाखों में)	आबंटन (लाखों में)
नियमित संस्थाओं को अनुदान	5238.50	4484.20

20. स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :-

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2013-14 में भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति कि लिए प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जनजातियों (संवर्ग) के स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	08 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	1,95,97,670/-
2	08 संस्थाओं के नवीन प्रस्ताव	1,37,54,425/-

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (संवर्ग) के स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	--
2	10 संस्थाओं के नवीन प्रस्ताव	1,78,29,960/-

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	01 संस्था का नवीन प्रस्ताव	35,77,500/-

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) हेतु अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाएँ	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	01 नवीन प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित राशि	37,50,000/-

टीप :- भारत सरकार को उक्त प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति अपेक्षित है।

21.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवक/युवतियों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में नि:शुल्क अध्ययन की सुविधा योजना:-

देश-विदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास एवं विस्तार परिलक्षित हो रहा है। शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम स्थापित होने के फलस्वरूप इनमें योग्य एवं प्रशिक्षित नर्सों की माँग बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवतियों को बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा दिलाकर रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने हेतु यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अध्ययन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2010-11 में चयनित 17 संस्थानों में अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल-400 छात्र/छात्राएँ अध्ययन कर रहें हैं। ''वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण हेतु 22 संस्थानों में अनुसूचित जाति 155 एवं अनुसूचित जनजाति के 245 छात्राओं को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2012-13 में 37 संस्थाओं अनुसूचित जाति वर्ग 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग 255 इस प्रकार कुल 400 छात्र/छात्राएँ अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

22. हॉस्पिटालिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना :-

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को एयर होस्टेस का प्रशिक्षण देने हेतु योजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ की गई है। इस प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 91 युवतियों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाया गया है, जिसमें 36 युवतियाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा 55 युवतियाँ अनुसूचित जाति वर्ग की है। वर्ष 2011-12 हेतु 120 युवतियों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाया गया है। वर्ष 2013-14 में योजना में परिवर्तन कर योजना का नाम हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना किया गया है। हॉस्पिटालिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 50 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 50 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।

23. अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को नि:शुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना:-

- प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 से नि:शुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत 66 अनुसूचित जनजाति तथा 62 अनुसूचित जाति इस प्रकार कुल-128 युवक लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2009-10 में 199 अनुसूचित जनजाति तथा 124 अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012-13 में 238 अनु0ज0जा0 तथा 102 अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति वर्ग के 33 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 33 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

24. रविदास चर्म शिल्प योजना :-

➢ प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 से रविदास चर्म शिल्प योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत अनु.जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वर्ष 2008-09 में 500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2009-10 में 125 हितग्राही लाभान्वित हुए है। वर्ष 2010-11 में रू. 25.00 लाख का आबंटन तथा वर्ष 2012-13 में 30.00 लाख का आबंटन जिलों को प्रदाय किया गया है तथा किट् वितरण का कार्य प्रगति पर है। जिससे 521 हितग्रहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2013-14 में 700 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत राहत योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 लागू किया गया है।

उक्त अधिनियम के अनुसार अत्याचार के अपराध इस प्रकार है :-

अखाद्य या घृणा जनक पदार्थ पीना या खाना, क्षति पहुँचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना आदि, अनादर सूचक कार्य सदोष भूमि अधिभोग लेना या उस पर कृषि करना आदि भूमि, परिसर या जल से संबंधित बेगार या बलातश्रम या बधुंवा मजदूरी, मतदान के अधिकार के संबंध में, मिथ्या, दोषपूर्ण या तंग करने वाली विविध कार्यवाही, मिथ्या, तुच्छ जानकारी अपमान अभित्रास, किसी महिला की लज्जा भंग करना, महिला लैंगिक शोषण, पानी गंदा करना, मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकारों से वंचित करना, किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना, मिथ्या साक्ष्य देना, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष से उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करना, किसी लोक सेवक से उठाई गई हानि (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (ख) 100 प्रतिशत असमर्थता, हत्या/मृत्यु, नरसंहार, बालात्संग, सामूहिक बालात्संग, गेंग द्वारा किया गया बालात्संग, अस्थाई असमर्थता और डकैती, पूर्णता नष्ट करना/जला हुआ मकान।

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुँचाने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 बनाया गया है। इस नियम के अन्तर्गत आकस्मिकता योजना नियम -1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों का राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140% से 166% तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200% वृद्धि की गई है। राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के निम्नानुसार व्यक्ति एवं परिवार पात्र है :-

- अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) या 3 (2) की विभिन्न उपधाराओं अन्तर्गत अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित व्यक्ति/परिवार।

वर्ष 2012-13 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के कुल 591 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2013-14 में माह दिसम्बर 2013 की स्थिति में 513 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है। उक्त अधिनियम के तहत् बनाए गए अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्यवन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंद्ध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित है तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्टर वर्ष 2013 में उक्त समिति की बैठक 19 जुलाई 2013 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 पुलिस जिलों यथा जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुन्द, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 14 जिलों में क्रमशः धमतरी, कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष न्यायालय जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजानाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अंतर्गत पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु प्राप्त आबंटन रू. 140.00 लाख जारी किया गया है। अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन तथा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता राशि अंतर्गत क्रमशः रु. 8.80 एवं 12.00 लाख का आबंटन प्राप्त है, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

26. आदिवासी/अनुसूचित जाति राहत योजनाः-

विपत्ति किसी को बताकर नहीं आती। जब आती है तो गरीब एवं असहाय लोगों को और दुर्बल बना देती है। ऐसी विपत्ति के समय पर प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे आदिवासी अनुसूचित जाति राहत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विगत 2011-12 से निम्नानुसार व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान कर लाभांवित किया गया -

क्र.	वर्ष	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	2011-12	143.81 लाख	546 व्यक्ति
2	2012-13	95.79 लाख	440 व्यक्ति
3	2013-14	170.66 लाख	513 व्यक्ति

27.सम्मान एवं पुरस्कारः-विभाग द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं-

1 शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान :- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दो लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 में स्वामी श्री रामानंद सरस्वती, ग्राम सलखिया (राजपुर) आर्य विद्या सभा, जिला-रायगढ़(छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में श्री अजीत वरवण्डकर मारुति विहार, मोहबा बाजार, रायपुर को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है।

2 स्वर्गीय भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान :- अनुसूचित जनजाति के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले संस्था को दो लाख रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। वर्ष 2011 में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर नगर, जिला-जशपुर (छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को दिया गया है।

3 गुरुघासी दास सामाजिक चेतना तथा अनुसूचित जाति उत्थान पुरस्कार : -छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों में सामाजिक चेतना तथा उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं को प्रतिवर्ष राज्य स्थापना उत्सव अवसर पर प्रदान किया जाता है। पुरस्कार एक व्यक्ति/संस्था को दो लाख रूपए प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2011 में संत श्री जीवराखन दास धृतलहरे, ग्राम नवागांव (थूहा), जिला-धमतरी (छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में डॉ. आर.एस.बारले, जिला दुर्ग को प्रदान किया गया है।

4 स्व0 हाजी हसन अली पुरस्कार :- उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने हेतु दो लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011 में साबिर हुसैन साबिर, हैदरी मस्जिद के पीछे, मोमिनपारा, रायपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0) को उक्त पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में श्री अब्बदुल सत्तार खान (राज मलकापुरी) तारीक मंजिल, मीनार आर्ट लाईन, ओम नग, जरहाभांठा, बिलासपुर (छ.ग.) को पुरस्कृत किया गया।

28. लोककला महोत्सव :-

1. शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव :-

➢ शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान, जिला-बलौदा बाजार में किया जाता है। वर्ष 2012-13 में लोककला महोत्सव का आयोजन जिला-सरगुजा में दिनांक 07-08 दिसंबर 2012 को किया गया तथा दिनांक-10 दिसम्बर 2012 को उनके जन्म स्थान सोनाखान में स्मृति समारोह आयोजित किया गया।

- इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।
- प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम (राशि रुपए 1.00 लाख), द्वितीय (राशि रुपए 0.50 लाख) एवं तृतीय पुरस्कार (राशि रुपए 0.25 लाख) दिया जाता है।
- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

2. गुरु घासीदास लोककला महोत्सव :-

- वित्तीय वर्ष 2007-08 से ''गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव'' का आयोजन किया जा रहा है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परंपरागत लोककला जैसे-पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारंपरिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम (राशि रुपए 1.00 लाख), द्वितीय (राशि रुपए 0.75 लाख) एवं तृतीय (राशि रुपए 0.50 लाख) पुरस्कार दिए जाते हैं।
- वर्ष 2011-12 में गुरु घासीदास लोककला महोत्सव का आयोजन दिनांक-15 व 16 दिसम्बर 2012 को जिला- मुंगेली में किया गया है।

29. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :-

छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत् आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति के अन्तर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्य यंत्र उनके धार्मिक पूजा पद्धति रिवाज आदि है। आदिवासी संस्कृति का एक मुख्य अंग आदिवासी नृत्य एवं संगीत है। ग्रामों में आदिवासी अर्थाभाव के कारण नृत्य एवं संगीत हेतु आवश्यक पारम्परिक वाद्ययंत्र एवं सह सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते है, जिससे वे अपने इस विशिष्ट संस्कृति को बचाए रखने में असफल हो रहे है। इस संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना है। वर्ष 2007-08 में इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया है।

योजनान्तर्गत सांस्कृतिक दल को रुपए 10000/-प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2013-14 में रूपए 42.00 लाख जारी किए गए है। जिससे 735 दलों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

30. जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास :-

योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के ग्रामों एवं अन्य क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रध्दा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। यह कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। योजना के क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमे राज्य के समस्त आदिवासी ग्राम सम्मिलित किए गए हैं। इस योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रति ग्राम रुपए 50,000 प्रति देवगुड़ी के निर्माण हेतु राशि निर्धारित है वर्ष 2013-14 में कुल-750 देवगुड़ी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए जिलों को रुपए 375.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

31.वर्ष 2012–13 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा - 20 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रकरणों पर कार्यवाही की गई :-

क्रं.	विभाग कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की कुल संख्या (कॉलम 6+7)	शेष आवेदनों की संख्या
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर आदिवासी विकास	0	80	80	80	0	80	0
2	दुर्ग ---"---	0	55	55	55	0	55	0
3	महासमुन्द ---"---	0	52	52	52	0	52	0
4	धमतरी ---"---	0	6	6	6	0	6	0
5	राजनांदगांव ---"---	0	23	23	18	5	23	0
6	कबीरधाम ---"---	0	34	34	34	0	34	0
7	बिलासपुर ---"---	0	107	114	114	0	97	17
8	सरगुजा ---"---	7	98	98	96	2	98	0
9	जशपुर ---"---	0	57	57	57	0	97	0
10	कोरबा ---"---	0	96	96	96	0	96	0
11	कोरिया ---"---	0	27	27	27	0	27	0
12	रायगढ़ ---"---	0	37	37	37	0	37	0
13	जांजगीर-चांपा ---"---	0	31	33	33	0	33	0
14	जगदलपुर ---"---	2	67	67	54	13	67	0
15	दन्तेवाड़ा ---"---	0	44	44	44	0	44	0
16	कांकेर ---"---	0	61	61	61	0	61	0
17	बीजापुर ---"---	0	8	8	8	0	8	0
18	नारायणपुर ---"---	0	21	21	19	2	21	0
19	बलौदा बाजार ---"---	0	4	4	4	0	4	0
20	गरियाबंद ---"---	0	155	155	155	0	155	0
21	मुंगेली ---"---	0	4	4	4	0	4	0
22	बलरामपुर ---"---	0	11	11	11	0	11	0
23	सूरजपुर ---"---	0	45	45	44	1	45	0
24	कोण्डागांव ---"---	0	11	11	11	0	11	0
25	सुकमा ---"---	0	32	32	32	0	32	0
26	बेमेतरा ---"---	0	1	1	1	0	1	0
27	बालोद ---"---	0	28	28	28	0	28	0
	कार्यालय, आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर	0	281	281	281	0	281	0
	कुल योग :-	9	1476	1485	1462	23	1468	17

9. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक-2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक-04 सन्-2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाईयों एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ एवं प्रगति विवरण 2013–14

क्रं.	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि हितग्राही	वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर- 2013
1.	राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त निगम प्रवर्तित योजना	169	144.50
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	641	1112.20
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम प्रवर्तित योजना	190	290.35
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम प्रवर्तित योजना	83	79.37
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	360	581.55
6.	अन्त्योदय स्वरोजगार योजना	875	(ऋण) 355.28 (अनुदान) 86.98
7.	आदिवासी स्वरोजगार योजना	418	(ऋण) 160.68 (अनुदान) 41.62
8.	मिनीमाता स्वावलंबन योजना	104	158.08
9	शहीद वीरनारायण सिंह स्वालंबन योजना	186	282.72
10	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	1237	371.10
11	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जाति वर्ग)	285	85.50
	योग -	**4548**	**3749.93**

10. यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग को शिक्षा के गुणात्मक विकास के कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2007-08 से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2008-09 में द्वितीय वर्ष की कुल 1367.2418 लाख का कार्य योजना स्वीकृत है, जिसमें माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर प्रदाय एवं विद्युतीकरण, कन्या छात्रावास/आश्रम में वाटरकूलर/प्यूरीफायर का प्रदाय, आश्रम भवनों का निर्माण, माध्यमिक शालाओं में कन्याओं के लिए शौचालय निर्माण, छात्रावास/आश्रमों में पेयजल आपूर्ति, शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड मुख्यालय के एक माध्यमिक शाला को आदर्श माध्यमिक शाला के रूप में विकसित करने तथा विकासखण्ड मुख्यालय के एक माध्यमिक शाला में अंग्रेजी प्रयोग शाला के स्थापना का कार्य, एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय शामिल है। स्वीकृत कार्य योजना की सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है तथा राशि स्वीकृत कार्यों पर व्यय हेतु जिलों को प्रदान की गई है तथा व्यय की कार्यवाही की जा चुकी है।

वर्ष 2009-10 में तृतीय वर्ष की कुल रुपए 1995.31 लाख की कार्य योजना स्वीकृत है। जिसमें विभागीय शालाओं में फर्नीचर एवं विद्युतीकरण, आश्रम भवनों का निर्माण, छात्रावास-आश्रमों में पेयजल आपूर्ति, छात्रावास-आश्रमों में विद्युतीकरण, सरगुजा जिले के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3री से 5वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं जूता-मोजा प्रदाय तथा कोरिया जिले में 26 आश्रम स्कूल में वाशिंग मशीन का प्रदाय, कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा का कार्यक्रम शामिल है। स्वीकृत कार्य योजना में से अब तक रुपए 1988.31 लाख प्राप्त हो चुका है। जिसके व्यय की कार्यवाही की जा चुकी है। सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3री से 5वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को जूता, मोजा प्रदाय की कार्यवाही की जा रही है।

चतुर्थ वर्ष की स्वीकृत कार्ययोजना रूपए 1178.00 लाख के विरूद्ध रुपए 730.00 लाख का आबंटन वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुआ। जिसमें से कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत विभागीय आश्रम शाला का निर्माण/विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्य में सी.एस.आर. दर वृद्धि होने से अतिरिक्त राशि/छात्रावास भवन का निर्माण विज्ञान शिक्षा सुधार हेतु/विभागीय छात्रावास आश्रम भवन का मरम्मत/एकलव्य आवासीय शाला की सजावट/आदिम जाति जिलों के 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना/राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन दौरा कार्यक्रम एवं आश्रम एवं छात्रावासी छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रुपए 1478.00 लाख की स्वीकृत कार्ययोजना के विरूद्ध रुपए 919.00 लाख प्राप्त हुआ। उक्त स्वीकृत योजना अनुसार आश्रम शालाओं में ट्यूबलर स्ट्रक्चर का निर्माण, दुर्ग तथा जगदलपुर में विज्ञान विकास केन्द्र के 500 सीटर भवन का निर्माण, छात्रावास आश्रम मरम्मत, एकलव्य विद्यालयों की साजसज्जा, प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान करना, हॉस्टल/आश्रम की छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय एवं चयनित विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों को आदर्श छात्रावास आश्रम के रूप में विकसित/सज्जित करने की कार्यवाही जारी है तथा अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का

उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2013-14 में नवीन कार्य के रूप में आदिवासी विकासखंडों के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर के विद्यार्थियों को ग्रीष्म काल में अंग्रेजी प्रशिक्षण (स्पोकन इंग्लिश एवं ग्रामर) दिया गया तथा आश्रम शाला एवं छात्रावासों के अधीक्षकों को छात्रावास/आश्रम प्रबंधन एवं संवेदनशील प्रशासन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा अप्रैल से दिसंबर 2015 तक के लिए कार्यक्रम अंतर्गत राशि रु. 1830.00 लाख का पुनरीक्षित प्रकल्प क्रियान्वयन योजना (PIP) प्रस्तावित की गयी है।

भाग – चार

11. आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय आदिकाल से भारत वर्ष में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तथ्यात्मक जानकारी की कमी/अभाव के फलस्वरूप इन वर्गो के विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में आने वाली समस्याओं के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिए थे।

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 01 नवंबर 2000 को पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन से किया गया। राज्य की कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत देश की 15वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई। वर्तमान में मुख्यालय, रायपुर के साथ-साथ संभागीय स्तर पर संभाग मुख्यालय जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर में आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय इकाई कार्य कर रही है।

संस्थान के प्रमुख कार्य :-

आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :-

1. अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
2. अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
3. अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
4. अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए राज्य शासन को विभिन्न जातियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में उक्त जातियों का इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना कि संबंधित जाति में जनजातीय लक्षण पाए जाते हैं अथवा नहीं।
5. अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होने के लिए राज्य शासन को विभिन्न जातियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ उक्त जातियाँ अस्पृश्यता से पीड़ित है अथवा नहीं? इनके परंपरागत व्यवसाय तथा सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन कर शासन को अभिमत देना।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने संबंधी प्रकरणों पर राज्य शासन को अभिमत देना।
7. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश की प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
8. आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाए गए विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
9. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त राज्य सरकारों को दिए गए दिशा-निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा संस्थान में गठित जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से शासकीय सेवा में नियुक्ति एवं व्यवसायिक

पाठ्यक्रमांक में प्रवेश के पूर्व अनुसूचित जनजाति/जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्य किया जा रहा है।

(अ) संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 में संपादित कार्य :

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में कार्ययोजना के अनुपालन में निम्नांकित कार्य संपादित किए गए हैं :-

1. आदिम जाति अनुसंधान संस्थान का सुदृढ़ीकरण :-

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर तथा संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु विजिलेंस सेल के कुल स्वीकृत 114 पदों में से रिक्त 66 पदों में से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 42 विभिन्न संवर्ग के पदों को भरने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/1734/वित्त/ब-4/चार/स्थापना/54/2012/1780 रायपुर दिनांक 21.12.2012 के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु दिनांक 30.01.2013 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

उक्त विज्ञापन के आधार पर विज्ञापित विभिन्न संवर्ग के कुल 42 पदों यथा संचालनालय स्तर के सीधी भर्ती के अनुसंधान सहायक के 10 पद, विधि सहायक के 03 पद, संग्रहालय सहायक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक ग्रेड - तीन, संगणक के 01-01 पद, स्टेनोटायपिस्ट के 04 पद, वाहन चालक के 03 पद, फर्राश के 01 पद, भृत्य के 08 पद, चौकीदार के 01 पद एवं क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के डाटा एंट्री ऑपरेटर 01 पद एवं चौकीदार 01 पद तथा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के डाटा एंट्री ऑपरेटर के 01 पद, भृत्य 01 पद तथा चौकीदार के 01 पद इस प्रकार 42 पदों की सीधी भर्ती हेतु कुल 11329 आवेदनों की प्राप्ति उपरांत ईंद्राज किए जाने एवं रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य किया गया है।

2. नृजातीय जाति परिरक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन :-

संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 में निम्नांकित जातियों का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने संबंधी जाति परीक्षण एवं पूर्व से शामिल अनुसूचित जनजातियों का नृजातीय अनुसंधान कार्य पूर्ण किया गया। जो निम्नांकित है :-

क्र.	जाति का नाम	संवग	स्थिति
1	परगनिहा, प्रधान	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन पूर्ण
2	सूतसारथी, सहीस, सईस, थनवार, सारथी	अनु. जाति	प्रतिवेदन पूर्ण
3	माझी	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन पूर्ण
4	नगवंशी, नगबसी, नगबसिया	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन पूर्ण
5	नगेसिया, किसान	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन पूर्ण
6	कमार	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन पूर्ण
7	कंवर	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन पूर्ण

वित्तीय वर्ष 2012-13 में आबंटित प्रक्रियाधीन नृजातीय अध्ययन की स्थिति निम्नांकित है-

क्र.	जाति का नाम	संवग	स्थिति
1	परहिया	अनु. जनजाति	क्षेत्रकार्य पूर्ण किया गया।
2	धुरी	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन लेखन कार्य किया गया।
3	कोड़ाकू	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रगति पर
4	बंजारा	अनु. जनजाति	क्षेत्रकार्य किया जा रहा है।
5	गदबा	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रगति पर
6	बिरहोर	अनु. जनजाति	प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रगति पर

3. सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन

1. सर्वेक्षण

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा राज्य में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति के वर्ष 2005-06 के आधारभूत सर्वेक्षण में छूटे हुए ग्राम या नवीन बसाहट वाले ग्रामों का परिवार सर्वेक्षण का कार्य नवीन परियोजना/अभिकरण गठन के उद्देश्य से संस्थान को सौपा गया था जिसके तारतम्य में संस्थान द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारो का आधारभूत सर्वेक्षण कर वांछित जानकारी कार्यालय आयुक्त को उपलब्ध करायी गयी। जो निम्नांकित है-

क्रं.	वि. पि. जनजाति	सर्वेक्षित ग्राम	कुल परिवार
1	कमार	03	13
2	बिरहोर	14	125
3	बैगा	36	493
4	पहाड़ी कोरवा	29	415
	योग	**82**	**1046**

2. मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि में से सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन लेखन कार्य पूर्ण किया गया जो निम्नांकित है -

क्रं.	विषय	स्थिति
1	गरीबी रेखा के नीचे आदिम जनजाति समूह **(PVTG)** के लिए इदिंरा आवास योजना का मूल्यांकन	प्रतिवेदन लेखन पूर्ण
2	आदिवासी क्षेत्र में आई.सी.डी.एस. संचालन की स्थिति का मूल्यांकन	प्रतिवेदन लेखन पूर्ण
3	संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत निर्मित आदिवासी आश्रमशाला एवं छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन	प्रतिवेदन लेखन पूर्ण

4. प्रशिक्षण

संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 में निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए -

(1) छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के आदिवासी क्षेत्रो में तैनात सेना अधिकारियों के लिए ''छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां : सामाजिक सांस्कृतिक परिचय एवं विकास'' विषय पर दिनांक 28.07.2012 को एक दिवसीय प्रशिक्षण आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया जिसमे कुल 56 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(2) संस्थान द्वारा दिनांक 30.07.2012 को कलेक्टर कार्यालय धमतरी में एक दिवसीय ''हाईस्कुल/हायरसेकेण्डरी स्कुल के माध्यम से विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्यशाला'' का आयोजन किया गया जिसमें कुल 137 अधिकारियों ने भाग लिया।

(3) दिनांक 26.09.2012 को ''जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन के परिपेक्ष्य में गठित जिलास्तरीय सत्यापन समिति हेतु कार्यशाला'' आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के सभागृह मे एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें कुल 63 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 256 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

5. एक्सचेंज ऑफ विजिट बॉय ट्रायबल्स

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शत-प्रतिशत अनुदान राशि से संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय के महिला-पुरूष जनप्रतिनिधियों को पृथक-पृथक दल गठन कर राजस्थान, उड़ीसा एवं आंध्रप्रदेश राज्य के आदिवासी हेतु संचालित विकास मूलक योजनाओं के अवलोकन एवं उनके अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु भ्रमण कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें से आन्ध्रप्रदेश राज्य के भ्रमण कार्यक्रम स्थगित किया गया था जिसके पश्चात् संस्थान द्वारा दिनांक 17 से 24 अप्रेल 2012 को राज्य के आदिवासी महिला एवं पुरूषों के दल को आंध्रप्रदेश राज्य भ्रमण कराया गया जहॉ आदिवासी को विकास के लिये संचालित सिलाई प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह के कार्यो, टी.ए.डी.पी. योजना अन्तर्गत कृषि, बागवानी, रेशम पालन, स्वास्थ्य सेवा एवं आर्थिक सहायता की योजनाओ का अवलोकन कराया गया।

6. जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच

(1) सत्यापन-

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय रायपुर एवं संभाग मुख्यालय में क्षेत्रीय ईकाई कार्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर में जाति सत्यापन हेतु आवेदको से सीधे प्राप्त एवं शिक्षा संस्थानो से संबंधित अनुभाग अधिकारियों के माध्यम से दिनांक 30.09.2012 तक प्राप्त प्रकरणों के सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्थान	संवग			योग
		अनु.ज.जा.	अन.जा.	अपिव.	
1.	क्षेत्रीय ईकाई –				
	सरगुजा,	8149	496	3302	**11947**
	जगदलपुर	11193	494	3229	**14916**
	बिलासपुर	5134	6379	11250	**22763**
2.	मुख्यालय (रायपुर)	8911	7505	38334	**54750**
योग		**33387**	**14874**	**56115**	**104376**

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1/3 दिनांक 01.09.2012 के निर्देश अनुसार 01.10.2012 से राज्य के समस्त जिलों में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के गठन के फलस्वरुप जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्रो का सत्यापन कार्य किया जा रहा है।

(2) जाति प्रमाण पत्रों की जाँच

वर्ष 2012-13 में जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा शासकीय सेवा/शैक्षणिक संस्थानो में आरक्षित संवर्ग की सीट पर नियुक्ति/प्रवेश संबंधी जाति प्रमाण पत्र की विजिलेंस जाँच उपरांत 09 प्रकरणों पर आदेश पारित किया गया। जिसमें से 05 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए।

7. न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा की स्थिति

संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 में जाति प्रमाण पत्र के जाँच विषयक व अन्य मामलो में कुल 28 प्रकरणो में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है।

8. आदिम जाति अनुसंधान संस्थान एवं संग्रहालय भवन

आदिवासी संग्रहालय निर्माण हेतु ''पुरखौती मुक्तांगन'' परिसर में स्थल चयन किये जाने हेतु छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचितजाति विकास के पत्र क्रमांक एफ-17-10/2012/25-2 दिनांक 30.07.2012 के तारतम्य में कार्यालय द्वारा अभनपुर के माध्यम से ग्राम उपरवारा स्थित 15 एकड़ भूमि के सीमांकन एवं आबंटन किये जाने दावा आपत्ति पेश किये जाने हेतु दिनांक 20.07.2012 को ईश्तहार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। जिस पर कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण में 300.00 लाख (150.00 लाख केन्द्राश एवं 150.00 लाख राज्यांश) रुपए प्रावधानित है। उक्त भूमि के संबंध में संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से भूमि हस्तांतरण के संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्रांश राशि अप्राप्त है।

(ब) संस्थान द्वारा वर्ष 2013-14 में संपादित कार्य

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्तमान तक संस्थान के सुदृढ़ीकरण, नृजातीय परीक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन, राज्य में वितरित वन अधिकार पत्रों का सत्यापन, प्रकाशन, जाति प्रमाण पत्र संबंधी शिकायती प्रकरणों की जांच, जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधी निम्नांकित कार्य संपादित किए गए -

क्र.	विवरण	वष 2013–14 हत पस्तावित काय / लक्ष्य	वष 2013–14 म सम्पादित काय
1	2	3	4
1.	**नृजातीय परीक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन**	संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति को सूची में शामिल किये गये अभ्यावेदनों के तारतम्य में धांगड़, ढुलिया/ढोलिया, कोड़ा, भरिया/भारिया, लांजा, ब्यार/बियार, धोबा, पण्डो, खेरवार, माहरा, किसान, महली, डंगचगहा, चण्डार/चंडार चिक/चीक, सोनकर/सुनकर, नमोशुद्र जातियों का नृजातीय अध्ययन कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया।	**1. नृजातीय अध्ययन हेतु क्षेत्र कार्य पूर्ण** उक्त लक्ष्य के अनुपालन में संस्थान द्वारा **ढुलिया/ढोलिया, कोड़ा, धोबा, महली, चिक/चीक**, जातियों का नृजातीय अध्ययन हेतु क्षेत्र कार्य पूर्ण किया गया। सारणीयन एवं प्रतिवेदन लेखन कार्य प्रारंभ किया जाना है। **2. राज्य शासन को प्रेषित प्रतिवेदन –** वर्ष 2013–14 में राज्य की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने संबंधी **परगनिया/प्रधान** (01.04.13), **किसान** (09.08.13), **रौतिया** (28.08.13), **संवरा** (27.08.13), **माहरा** बस्तर संभाग (06.10.13), **बंजारा** (01.10.13), **धूरी/धुरी** (03.10.13) **सूत–सारथी, सारथी, सईस, सहीस, थनवार** (01.04.13), **सोनकर/सुनकर** (26.06.13), एवं **नमोशुद्र** (21.06.13) का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
2.	**मूल्यांकन**	भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अनुसंधान राशि में से सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा पूर्व में अनुमोदित निम्नांकित योजनाओं का मूल्यांकन किये जाने का लक्ष्य रखा गया। 1. आदिवासी क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास एवं स्वरोजेगार हेतु संचालित प्रशिक्षण का मूल्यांकन।' 2. आदिवासियों के लिए सिंचाई पम्प के लिए विद्युत कनेक्शन का मूल्यांकन। 3. वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत पट्टा वितरण कार्य का मूल्यांकन।	**3. प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी–** अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने संबंधी अभ्यावेदन के तारतम्य में **खेरवार** एवं **पण्डो** जातियों का नृजातीय अध्ययन कार्य एवं प्रतिवेदन लेखन पूर्ण किया जा चुका है। प्रतिवेदन आगामी माह में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। **1. शासन को प्रेषित मूल्यांकन प्रतिवेदन** संस्थान द्वारा वर्ष 2013–14 में निम्नांकित मूल्यांकन प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किये गये हैं। 1. गरीबी रेखा के नीचे के (PTG) के लिए इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन **(पूर्ण)** 2. आदिवासी क्षेत्रों में संचालित आई.सी.डी एस. (ICDS) संचालन की स्थिति का मूल्यांकन **(पूर्ण)** 3. संविधान की धारा 275 (1) अंतर्गत निर्मित आदिवासी आश्रम शाला एवं छात्रों की प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन **(पूर्ण)** **2. मूल्यांकन संबंधी सारणीयन कार्य जारी** **''आदिवासियों के लिए सिंचाई पम्प के लिए**

			विद्युत कनेक्शन योजना'' का मूल्यांकन हेतु क्षेत्रकार्य पूर्ण किया जाकर विश्लेषण संबंधी कार्य जारी है। **3. मूल्यांकन संबंधी क्षेत्र कार्य जारी** संस्थान द्वारा आदिवासियों में संचालित **''कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण''** का मूल्यांकन संबंधी क्षेत्रकार्य प्रगति पर है।
3.	**राज्य में वितरित वन अधिकार पत्रों का सत्यापन**	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में राज्य अंतर्गत वितरित किये गये वन अधिकार पत्रों का सत्यापन संस्थान के माध्यम से कराये जाने संबंधी निर्णय के तारतम्य में आयुक्त महोदय द्वारा संस्थान में उपलब्ध अमले के माध्यम से जिलों में वितरित वन अधिकार पत्रों का 01 माह में भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।	उक्त के तारतम्य में अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं संशोधन नियम, 2012 के अंतर्गत वितरित किये गये वन अधिकार पत्रों के सत्यापन कार्य संबंधी दो चरणों में दिनांक 21.11.2013 एवं 02.12 2013 को प्रशिक्षण/बैठक आयोजित कर राज्य के 24 जिलों में प्रत्येक विकासखण्डों के 2–2 ग्राम एवं अभ्यारण्य क्षेत्र के 01 अति रिक्त ग्राम का चयन कर मूल्यांकन/सत्यापन संबंधी कार्य राज्य के समस्त जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा जिले को छोड़कर) में दिनांक 11.12.2013 से प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्य हेतु कार्यालय आयुक्त के सहयोग से ग्राम अनुसूची, हितग्राही अनुसूची एवं दावेदार अनुसूची तैयार कर 500 ग्राम अनुसूची, 16500 हितग्राही अनुसूची एवं 24500 दावेदार अनुसूची मुद्रित करा संस्थान एवं जिला स्तरीय सत्यापन समितियों में कार्यरत सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र कार्य प्रारंभ किया गया। **सत्यापन संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति**

क्रं.	जिला	वि खं.	ग्राम	सर्वे हि संख्या	सर्वे दावे. संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोरबा	पोढ़ी उपरोड़ा	लाद	216	84
			बरपाली	15	13
		कटघोरा	घुरेना	71	62
			बसंतपुर	13	30
		पाली	मादन	129	54
			नवागांव खुर्द	9	0
		कोरबा	मदनपुर	185	156
			हाथीमुड	51	22
2	रायगढ़	घरघोड़ा	सहसपुर	13	26
			रायकेला	42	83
		रायगढ़	लाम्हीदरहा	8	—
		लैलूंगा	करन	30	70
			किलकिला	84	231

			3	अंबिकापुर	अंबिकापुर	खलिबा	15	210
					लखनपुर	पोंडी	63	10
			4	सूरजपुर	सूरजपुर	पसला	10	20
					रामानुजनगर	मोहनपुर	69	30
						चंदरपुर	10	19
			5	जशपुर	जशपुर	चितोंगा	32	10
						चारूडीह	35	90
					मनोरा	सोगडा	42	13
						बोरोकोना	32	0
						अलोरी	33	9
			6	बलरामपुर	बलरामपुर	बड़कीमहरी	40	65
						कोटसरी	24	24
						दौरा	28	45
			7	कोरिया	—	—	—	—
			8	राजनांदगांव	छुरिया	मोहगांव	47	3
						आटरा	14	37
			9	महासमुंद	बागबाहरा	बोकरामुड़ा	140	51
						सोनदादर	11	15
					पिथौरा	टेका	44	61
						भिथीडीह	18	32
					सराईपाली	टेमरी	11	23
						टुडुमचुवा	40	39
			10	बालोद	बालोद	तालगांव	33	3
						अमलीडीह	42	17
						रामनगर	19	3
					गुरूर	आमापानी	13	0
						दुग्गाबाहरा	23	8
					डौन्डी लोहारा	रायगढ़	5	46
						जाटादाह	10	10
					डौन्डी	परकालकसा	20	10
						सुरडोंगर	1	31
						सिंगनवाही	16	0
			11	बलौदा बाजार	पलारी	जोराडबरी	8	5
					बलौदा बाजार	धारासीव	4	0
						मेड़	15	0
					बिलाईगढ़	पिरदा	94	15
						बघमल्ला	250	0
						आमाकछार	17	0
			12	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा	रेंगाखाम्ही	29	74
						टाटावाही	9	12
					पण्डरिया	कुई	16	34
						नेउर	28	40
						अमनिया	42	36
						बरौदा	46	64

			13	मुंगेली	लोरमी	सामरधसान (दरवाजा)	11	0
						बोकराकछार	37	1
						जाकड़बांधा	121	133
						सूरही	196	115
						महामाई	128	92
						जमनाही	190	72
						निवासखार	160	88
						खुड़िया	12	350
			14	बिलासपुर	बिलासपुर	कोरबी	106	—
						बसहा	46	—
					बिल्हा	बिटकुली	13	—
						एठुलकापा	15	—
					कोटा	लुफा	38	—
					गौरेला	धनौली	292	15
						सारबाहरा	50	19
					पेण्ड्रा	कोटमीकला	106	—
						सरखोर	43	5
					मरवाही	उसार	280	20
						सेमरदर्री	70	15
			15	जांजगीर–चांपा	अकलतरा	करहीडीह	9	—
						चंदनिया	7	—
			16	धमतरी	धमतरी	गंगरेल	52	200
						डांगीमाचा	45	30
						बोरिदखुर्द	10	40
					नगरी	बिरना सिल्ली	43	0
						कौहाबाहरा	243	40
						कोर्रा	15	20
						बनबगौद	10	20
			17	गरियाबंद	गरियाबंद	घटौद	188	179
						बम्हनी	14	32
			18	जगदलपुर			309	
			19	सुकमा			45	
			20	दंतेवाड़ा	सकुवा	नकुलनार	12	14
					कुआकोण्टा	हितावर	50	2
					दंतेवाड़ा	भैरमगढ़	27	
			21	बीजापुर			55	
			22	नारायणपुर			46	
			23	कांकेर			97	
			24	कोण्डागांव			52	
			योग				**5607**	**3547**

4.	**प्रकाशन**	संस्थान को वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ की **आदिवासी पद्धति** एवं **छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी नियम–निर्देश** मार्गदर्शिका तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है।	**''छत्तीसगढ़ की आदिवासी पद्धति''** प्रथम चरण की पुस्तिका प्रकाशन हेतु राज्य में निवासरत **गदबा, कमार, खैरवार, उरांव, भुंइहर, गोड़, कंवर, भुंजिया** एवं **हल्बा** अनुसूचित जनजाति की सामाजिक संरचना, आर्थिक जीवन, जीवन संस्कार (जन्म, विवाह एवं मृत्यु), धार्मिक जीवन, आदिवासी न्याय पद्धति जैसे बिन्दुओं पर क्षेत्र कार्य पूर्ण कर आलेख तैयार किये गये। प्रकाशन संबंधी कार्य आगामी माह तक कर लिया जायेगा। **''छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी नियम निर्देश–पुस्तिका भाग–1''** तथा **''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रास्थिति (जाति) प्रमाणीकरण निर्देशिका भाग–2''** के प्रकाशन हेतु जाति प्रमाण–पत्र संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, राज्य शासन द्वारा जारी–निर्देशों, अधिनियम एवं निर्देशों के संकलन का कार्य पूर्णकर पुस्तिका का स्वरूप प्रदाय किया गया तत्पश्चात संचालक महोदय के स्वीकृति उपरांत 1000–1000 प्रतियों में मुद्रण हेतु दिनांक 11.12.2013 को छत्तीसगढ़ संवाद को प्रेषित किया गया है।
5.	**जाति प्रमाण–पत्र संबंधी शिकायती प्रकरणों की जांच**	तत्संबंधी कार्य निरंतर जारी है।	संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण समिति एवं विजिलेंस सेल में अब तक **542** प्रकरण पंजीकृत हैं, जिसमें जांच/अन्वेषण पश्चात समिति द्वारा **267** प्रकरणों पर आदेश पारित किया गया, जिसमें से **124** प्रकरणों में जाति प्रमाण–पत्र सही पाये गये तथा **143** प्रकरणों में जाति प्रमाण–पत्र गलत पाये गये। वित्तीय वर्ष 2013–14 में अब तक **27** प्रकरणों पर समिति द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा **12** प्रकरण आदेश पारित हेतु समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है।
6.	**जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन**	तत्संबंधी कार्य निरंतर जारी है।	जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र समिति द्वारा वर्ष 2013–14 में कुल **42,830** (अनुसूचित जनजाति–**13,433** अनुसूचित जाति–**8,431** और अन्य पिछड़ा वर्ग–**20,966**) आवेदकों के जाति प्रमाण–पत्रों की जांच कर सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है।

12. आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ0ग0 राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतुः-

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ-7-5/04/01/06, दिनांक-20 मई 2004 द्वारा किया गया।

1. गठन एवं विस्तार :-

प्रारंभ में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा ही सम्मिलित किए गए थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले की नगरी, दुर्ग जिले का डौण्डीलोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगाँव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ राजनांदगाँव जिले का ''नचनिया'' एवं जिला कवर्धा का ''माडा'' क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किए गए।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला), रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले का गौरेला परियोजना क्षेत्र को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

2. उद्देश्यः-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास संस्कृति के संरक्षण क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

3. बजट प्रावधानः-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में लिए जाने वाले कार्यों हेतु पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल रूपये 3500.00 लाख का प्रावधान प्रत्येक प्राधिकरण में किया गया है। जिसके अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ से की जाती है। वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2011-12 (दिसबंर 2011 की स्थिति में) अंतर्गत आदिवासी विकास प्राधिकरणों हेतु निम्नानुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है, एवं उसके विरुद्ध राशि स्वीकृत की गई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

बस्तर एव दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	1300.00	1269.431
2005-06	2500.00	2500.00
2006-07	2700.00	2700.00
2007-08	4000.00	3979.456
2008-09	4000.00	3996.42
2009-10	3500.00	3436.126
2010-11	3500.00	3500.00
2011-12	5000.00	4994.56
2012-13	3740.00	3698.59
2013-14	3550.00	1573.38 (06 दिसंबर 2013 की स्थिति में)

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	1300.00	1300.00
2005-06	2500.00	2417.00
2006-07	2500.00	2491.005
2007-08	3700.00	3699.996
2008-09	3500.00	3489.94
2009-10	3500.00	3436.65
2010-11	3500.00	3499.14
2011-12	3500.00	3499.70
2012-13	4040.00	3798.65
2013-14	3550.00	1760.07 (06 दिसंबर 2013 की स्थिति में)

4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठनः-

राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र./एफ-7-9/04/ 1/06, दिनांक-23.10 2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

1. अनुसूचित जाति प्राधिकरण का क्षेत्र :-

प्राधिकरण गठन के साथ-साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य निम्नांकित 09 जिलों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया।

1. जांजगीर-चांपा 2. बिलासपुर 3. रायपुर 4. रायगढ़ 5. दुर्ग 6. कवर्धा
7. महासमुन्द 8. कोरबा 9. राजनांदगांव

वर्तमान में राज्य के धमतरी जिलें में निवासरत अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या को भी प्राधिकरण अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

प्रावधानः-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किए जाते है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2004 से 2012-13 बजट प्रावधान एवं उसके विरुद्ध दी गई स्वीकृत राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	400.00	360.42
2005-06	2000.00	1991.994
2006-07	2000.00	2000.00
2007-08	3500.00	3498.25
2008-09	3500.00	3492.314
2009-10	3500.00	3477.174
2010-11	3500.00	3498.94
2011-12	3500.00	3976.19
2012-13	4040.00	3999.995
2013-14	3590.00	1995.03 (06 दिसंबर 2013 की स्थिति में)

सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन होते हैं। नवीन विधानसभा के गठन उपरान्त तीनों प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष का पद खाली है उपाध्यक्ष की नियुक्ति लम्बित है।

प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित नीतियों, लिए गए निर्णयों, जारी आदेश एवं निर्देश, प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं।

भाग – पांच

13. अभिनव योजनाएँ

1. प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोचिंग योजना :-

राज्य के आदिम जाति/अनुसूचित जाति को विद्यार्थियों को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से राज्य में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोंचिग योजना वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में विज्ञान विषय लेकर 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको प्रवेश की पात्रता होती है। वर्ष 2013-14 में रु. 80.00 लाख का बजट प्रावधान है एवं 52 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं।

2. आदर्श छात्रावास/आश्रमों की स्थापना:-

विभाग में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों को विकसित (सुसज्जित) कर आदर्श संस्था बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में प्रत्येक जिले के 10-10 छात्रावास एवं आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावास एवं आश्रम स्थापित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 में भी 500 छात्रावास एवं आश्रमों को आदर्श छात्रावास एवं आश्रम के रूप में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 489 छात्रावास/आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावास/आश्रम के रूप में स्थापित किए गए है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में भी 500 छात्रावास/आश्रम लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

3. युवा कैरियर निर्माण योजना :-

वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत संघ एव राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुख्य रूप से शासकीय शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर की जाती थी जिसके कारण योजना में सफलता का प्रतिशत कम रहता था। उक्त योजना के प्रावधानों की समीक्षा कर वर्ष 2006 में युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को out sourcing करके देने का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जिसका परिणाम भी उत्साहवर्धक रहा है। वर्तमान में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर में संचालित की जा रही है। वर्ष 2011 में योजना का विस्तार करते हुए बैकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग के कार्य को भी योजना में समाहित किया गया है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008 की राज्य सिविल सेवा की परीक्षा में कुल 26 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि महत्वपूर्ण पदों पर चयनित हुए हैं। वर्ष 2012-13 में बैकिंग, रेल्वे भर्ती इत्यादि परीक्षाओं में 18 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर अंतिम रूप से चयन हुआ है उल्लेखनीय है कि इनमें से 04 प्रतिभागियों का प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। वर्ष 2011 की राज्य सिविल सेवा परीक्षा में कुल 09 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयनित हुए है। वर्ष 2012 की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की 02 माह की अल्पावधि

कोचिंग संचालित की गई जिसमें कुल 32 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ। युवा कैरियर निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से नई दिल्ली स्थित सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से चयनित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोंचिग भी प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु रु. 200.00 लाख, अनुसूचित जाति हेतु रु. 143.70 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रु. 90.90 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

4. सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष-2009 :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केन्द्र एवं राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ''सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009'' वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई है।

इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग/छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में सफल होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार राशि एकमुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है :-

अ. अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रुपए 1,00,000/-(रूपए एक लाख) मात्र.

ब. राज्य सिविल सेवा परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर	मुख्य परीक्षा में सफल होने पर
रुपए 10,000/- (दस हजार मात्र)	रुपए 20,000/- (बीस हजार मात्र)

1. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाएगी।
2. अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को राज्य स्तर/जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दी जाएगी एवं जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा निर्देशित बजट शीर्ष से राशि आहरित कर संबंधित को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2010 में स्वीकृति प्रदान किया गया है। वर्ष 2011 की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल 255 अभ्यर्थियों को रु. 25.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2012 की सिविल सेवा प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। संघ

लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर वर्ष 2010-2011 में 05 अभ्यर्थियों को रु. 5.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2013 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5. आदिवासी यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :-

देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा अखिल भारतीय स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने तथा दिल्ली स्थित शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च अध्ययन हेतु आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिवासी यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली का निर्माण किया गया है। वर्ष 2013-14 से इस यूथ हॉस्टल में छत्तीसगढ़ निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 प्रवेशित अभ्यर्थियों को युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी तथा 03 विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु आवासीय एवं मेस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। प्रवेशित विद्यार्थियों में से 03 विद्यार्थी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2013 में शामिल हुए है तथा योजना में शामिल अन्य 15 विद्यार्थियों ने छ0ग0 लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2013 के लिए सफलता प्राप्त की है।

6. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :-

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के अध्ययन एवं सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के अध्ययन के लिए ''आस्था'' योजना के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के कुल 271 विद्यार्थी दंतेवाड़ा जिले मुख्यालय पर स्थित आवासीय विद्यालय में पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहें है। ''निष्ठा'' योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित परिवारों के बच्चे राजनांदगांव जिले में निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 में कुल 177 विद्यार्थी कक्षा 1ली से 12वीं तक कुल 15 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। ''प्रयास'' नक्सल प्रभावित जिलों के 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा (11वीं एवं 12वीं) उपलब्ध कराने तथा अध्यापन के साथ-साथ आई.आई.टी./ए.आई.ई.ई.ई./पी.एम.टी./पी.ई.टी. की कोचिंग देने हेतु रायपुर में ''प्रयास'' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। गत वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस कड़ी में वर्ष 2013 की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रयास आवासीय विद्यालय का परीक्षाफल शतप्रतिशत रहा है तथा 137 छात्रों में से 134 छात्र/छात्राएँ अर्थात् 98 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 07 छात्र/छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया। छात्र टिकेन्द्र बंजारे (अनुसूचित जाति) ने सर्वाधिक 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किया। इसी प्रकार वर्ष 2013 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश हेतु ली जाने वाली जेईई (मेन) परीक्षा में प्रयास विद्यालय रायपुर के

कुल 87 छात्र/छात्राओं ने क्वालिफाई किया है जिसमें से 20 छात्र/छात्राओं का चयन देश की विभिन्न राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में प्रवेश हेतु हो चुका है। सत्र 2013-14 से प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर (सरगुजा) एवं जगदलपुर (बस्तर) में प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त संस्थाओं में क्रमशः 125 तथा 88 छात्र/छात्राओं को कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अध्ययन के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जा रही है।

7. शासकीय बुनियादी आदर्श विद्यालय, नारायणपुर :-

500 सीटर बालक शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 500 सीटर कन्या शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 2012-13 में नारायणपुर जिले में की गई है। उक्त विद्यालय में वर्ष 2013-14 में प्रथम चरण में कुल 84 बालक एवं 61 बालिकाओं को कक्षा छठवीं एवं नवमीं में प्रवेश दिया गया है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ हायर सेकेण्डरी स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

8. आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनकी विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में अभिरूचि है परंतु गुणवत्ता-परक शिक्षा से वंचित है, उन्हें पूर्ण संसाधनों के साथ अवसर उपलब्ध करा कर विज्ञान/वाणिज्य विषय के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड़. की पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों के रूप में सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013-14 के अभिनव योजना के रूप में प्रारंभ की गई है।

योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक-स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें पंचायत शिक्षक एवं पंचायत व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री-बी.एड. परीक्षा तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

उक्त योजनांतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में वर्ष 2013-14 से प्रारंभ की गई है। इसमें 245 बालिकाएँ प्रवेशित है तथा 500 सीटर बालक शिक्षण केन्द्र जगदलपुर जिला मुख्यालय में स्थापित करने हेतु भवन निर्माणाधीन है। योजना के संचालन हेतु वर्ष 2013-14 में रु. 218.10 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

भाग – ६:

14. आगामी शिक्षण सत्र के लिए प्रस्तावित नवीन योजना

प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग एवं बिलासपुर :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा रायपुर मुख्यालय में 'प्रयास' बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस संस्था में प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के कक्षा दसवीं उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं की नियमित शिक्षा के साथ-साथ आई.आई.टी./ए.आई.ई.ई.ई. एवं ए.आई.पी.एम.टी./पी. एम.टी. इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। एक ही परिसर में उपरोक्त पूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के फलस्वरूप विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में उल्लेखनीय सुधार पाया गया है।

वर्तमान में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अधिकांश हाईस्कूलों में विज्ञान विषयों के पद रिक्त होने के कारण अधिकांश विद्यार्थियों में विज्ञान विषयों की नींव मजबूत नहीं हो पा रही है। ऐसी दशा में इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम श्रेणी में कक्षा दसवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की चयन परीक्षा आयोजित कर नक्सल प्रभावित जिलों के विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चयनित कर कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं की शिक्षा के लिए दुर्ग एवं बिलासपुर जिले मुख्यालय में 250-250 सीटर प्रयास आवासीय बालक/कन्या विद्यालय का संचालन आगामी सत्र 2014-15 से किया जाना प्रस्तावित है। 250 सीट में से 150 सीट छात्र एवं 100 सीट छात्राओं के लिए होगी। यह विद्यालय रायपुर में संचालित प्रयास आवासीय बालक एवं कन्या विद्यालय के तर्ज पर संचालित की जाएगी। इन विद्यालयों में शालेय शिक्षा के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा भी दी जाएगी। जिससे उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी का बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षा के उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त होंगे।

शालाओं का उन्नयन :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग द्वारा 525 हाईस्कूल एवं 892 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित किए जा रहें है। वर्ष 2013-14 में 56 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल एवं 105 हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 15 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल तथा 15 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है।

नवीन छात्रावास :-

वर्ष 2014-15 के लिए अनुसूचित जनजाति के 03 एवं अनुसूचित जाति के 06 इस प्रकार कुल 09 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 21 अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक के लिए नवीन छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित है।

कन्या छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जिन स्थानों में अनुसूचित जाति वर्ग के कन्या छात्रावास तथा आश्रम शाला भवन विहीन हैं, वहाँ वर्ष 2014-15 के मुख्य बजट में भवन निर्माण करने हेतु राशि रु. 371.46 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार जिला कोरिया में प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोरगा, प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास पोंड़ी बचरा तथा जिला कबीरधाम में पो. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कवर्धा व पो. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या आश्रम डबराभाठ में भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास/आश्रम शाला निर्माण हेतु प्राथमिकता अनुसार 26 भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसके लिए वर्ष 2014-15 के मुख्य बजट राशि रु. 2583.17 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

भाग – सात

15. सारांश

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्याक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में बहुआयामी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों का सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य मुख्यालय पर ''प्रयास'' जैसे संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है एवं इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकि शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में तीन प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय के विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। विकास की इस यात्रा में हम चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।

आदिम जाति